भारत सरकार

मा.स.वि.म. | मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

विद्यालय		अध्यापक		विद्यार्थी	
विद्यालयों की संख्या		अध्यापकों की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या	
1535610		8905811		253108405	
शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	लड़के	लड़कियां
2.39 लाख में	12.97 लाख में	24.01 लाख में	65.05 लाख में	131.40 लाख में	121.71 लाख में

शैक्षिक वर्ष – 2016-17

कार्यनिष्पादन डैश बोर्ड

विभिन्न स्कीमों और पहलों का असर

सकल नामांकन अनुपात		संक्रमण दर		लैंगिक समानता सूचकांक		उपयोग्य शौचालय के साथ स्कूल	
प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक	प्रारम्भिक	माध्यमिक	लड़कों के लिए	लड़कियों के लिए
95.12%	79.35%	88.56	90.32	1.05	1.02	92.53%	94.37%

यूडीआईएसई+

एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के लिए शिक्षा प्लस

यूडीआईएसई+

एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के लिए शिक्षा प्लस

अप्रैल 2019

सत्यमेव जयते

मा.स.वि.म.

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

01 भूमिका
01-04

02 शिक्षा प्लस एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसईरु+)
04-13

03 निष्कर्ष
14

04 यूडीआईएसई+ के अपेक्षित परिणाम और स्क्रीन शॉट्
15-18

05 सभी राज्यों के लिए अनुदेश
19-25

06 सभी संघ शासित राज्यक्षेत्रों के लिए अनुदेश
26-31

07 अपने स्वयं के डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले राज्यों व संघ शासित राज्यक्षेत्रों के लिए अतिरिक्त अनुदेश
32-34

08 यूडीआईएसई+ के लिए डाटा कैप्चर फोर्मेट (कक्षा 1 से 12 तक)– मास्टर वर्जन
35-82

भूमिका

क. शिक्षा संबंधी एकीकृत जिला सूचना प्रणाली – (यूडीआईएसई)

भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली विश्व की विशालतम स्कूल शिक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसमें 29 राज्य और 7 संघ शासित राज्य क्षेत्रों के 15 लाख से अधिक विद्यालय, 85 लाख अध्यापक और विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों वाले 25 करोड़ से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

इस प्रणाली के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए प्रथम अपेक्षा एक पुख्ता, समयोचित और विश्वसनीय सूचना एकत्रीकरण तन्त्र की है, जिसके आधार पर सुधार के लिए विशिष्ट प्रकार के प्रयत्नों की तैयारी की जा सके।

1990 के दशक की शुरुआत में, राष्ट्रीय प्रयत्न जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के हिस्से के तौर पर, एक स्कूल आधारित कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली को तैयार एवं विकसित किया गया था। शिक्षा संबंधी जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के नाम से एक शिक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली (ईएमआईएस) को चुने गए 7 राज्यों के 42 जिलों में डीपीईपी के क्रियान्वयन की आयोजना और अनुवीक्षण हेतु कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए तैयार किया गया था। 2008–09 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की शुरुआत के साथ ही, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं हेतु एक अलग तथा समर्पित माध्यमिक शिक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली को शुरु किया गया था। तत्पश्चात् 2012–13 में, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित डीआईएसई और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित एसईएमआईएस को एकीकृत करके शिक्षा संबंधी एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) को शुरु किया गया था।

तब से, यूडीआईएसई ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.स.वि.म.) की आधिकारिक सांख्यिकी का दर्जा प्राप्त कर लिया है और अब यह देश के सभी जिलों में चल रही है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (स्.शि.सा.वि.), मा.स.वि.म. के वार्षिक आंकड़ा संग्रहण सहित, सभी समानांतर आंकड़ा संग्रहण प्रणालियों को बंद कर दिया गया है और स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित सूचनाओं का एक मात्र स्रोत यूडीआईएसई है। स्कूल शिक्षा सांख्यिकी से संबंधित मा.स.वि.म. के सभी प्रकाशन अब पूरी तरह से यूडीआईएसई आंकड़ों पर ही आधारित होते हैं।

ख. यूडीआईएसई में खामियां

हालांकि, इस प्रणाली में अनेक खामियां हैं जो समय के बीतने के साथ आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता को कर देती हैं। प्रणाली के क्रियान्वयन और आंकड़ों के अनुप्रयोग में भी मुख्य रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

हालांकि वर्षों के दौरान यूडीआईएसई के तहत स्कूलों की कवरेज बढ़ी है, परन्तु आंकड़ों, विशेषकर नामांकन और आधारभूत सरंचना से संबंधित आंकडों, की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा था। क्योंकि लगभग सभी वित्तीय आबंटन यूडीआईएसई के अन्तर्गत सूचित किए नामांकनों की संख्या के आधार पर किए जाते हैं, अतः आंकड़ों की सटीकता का बड़ा महत्व है।

1. ऑफलाइन आंकड़ा संग्रहण प्रणाली

यूडीआईएसई के तहत, 15 लाख स्कूल प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर की अंतिम दिनांक तक डाटा कैप्चर फोर्मेट (डीसीएफ) के पेपर संस्करण में स्कूल स्तर पर हाथ से आंकड़े भरते हैं। इसमें नामांकन से संबंधित स्कूल–वार आंकड़ों का संग्रहण, भौतिक संरचनात्मक ढांचा, अध्यापक और नामांकन के आंकड़े आदि शामिल रहता था। इन आंकड़ों को ब्लॉक स्तर अथवा यहां तक कि जिला स्तर पर भी कम्प्यूटरीकृत किया जाता था, राज्य एवं यूटी स्तर पर मिलान किया जाता था और इसके पश्चात् एक राष्ट्रीय डैटाबेस को बनाने के लिए मा.स.वि.म. के साथ सांझा किया जाता था।

राज्य/यूटी स्तर पर इस आंकड़े के समुच्चयन में अत्यधिक समय लगता था, प्रायः लगभग एक वर्ष, जिसके कारण सूचना पुरानी पड़ जाती थी और तात्कालिक एवं साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए विश्लेषण हेतु उपयोगी नहीं रह जाती थी। स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या (15 लाख) के दृष्टीगत, रिपोर्टों को समेकित करने दो वर्ष से अधिक समय लगता थ। जब तक एक वर्ष के आंकड़ों का विश्लेषण पूरा होता था तब तक अगले वर्ष के लिए आंकड़े एकत्र करना आरम्भ करने का समय हो जाता था। इसलिए विश्लेषण का स्तर संतोषजनक नहीं था और बहुत कुछ करने की अपेक्षा बाकी रह जाती थी।

2. लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन की व्यवस्था न होने के कारण उत्तरदायित्व की कमी

आंकड़ों को जिला/ब्लॉक स्तर पर ज्यादातर संविदा पर कार्यरत एमआईएस कर्मचारियों द्वारा प्रणाली में अपलोड किया गया था। बहुत से राज्यों डाटा एन्ट्री का कार्य पूरी तरह से आउटसोर्स किया गया था। इसलिए, उपलब्ध करायी गई सूचना की सत्यता के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट स्रोत/लेखापरीक्षा उपलब्ध नहीं थी। जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर कर्मचारियों के स्थानांतरण ने इस समस्या को और बढ़ा दिया जिसके कारण आंकड़ों का कभी भी सत्यापन नहीं किया गया था। क्योंकि उत्तरदायित्व नदारद था, इसलिए संबंधित कर्मचारियों ने संगत और सही आंकड़ों को भरने/अपलोड करने पर्याप्त ध्यान नहीं रखा, जिसके कार यूडीआईएसई की विश्वसनीयता कम हो गई।

3. स्कूलों की सभी श्रेणियों के लिए एक ही डीसीएफ

यूडीआईएसई में श्रेणी के निरपेक्ष सभी स्कूलों के लिए एक ही मास्टर डीसीएफ था (स्कूलों का श्रेणीकरण स्कूलों में कक्षाओं की संख्या पर आधारित है)। हालांकि, स्कूल की श्रेणी विशेष पर कुछेक फील्ड लागू ही नहीं थे। उदाहरण के लिए, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से संबंधित प्रश्न जो कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए हैं, 1 से 5वीं तक की कक्षा वाले स्टैंडअलोन प्राथमिक स्कूलों (जिनकी संख्या 8 लाख स्कूलों की है जो देश के कुल स्कूलों की संख्या का लगभग 55% है) के लिए संगत नहीं हैं। इसी प्रकार, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम से संबंधित प्रश्न यथा विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) और स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, ये प्रश्न कक्षा 9 से 11 के लिए असंगत थे। ऐसा होने से भ्रम उत्पन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप संगत स्कूल श्रेणी से संबंधित आंकड़ों को न भरे जाने की घटनाएं हुई और श्रेणी विशेष के लिए असंगत आंकड़ों को गलती से भर दिया गया था। परिणामस्वरूप, स्कूलों के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं में विसंगतियाँ थी।

4. आंकड़ों की सत्यता–जाँच व विश्लेषण का अभाव

आंकड़ों की गुणवत्ता व विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 2006–07 से अनिवार्य बना दिया गया था कि यूडीआईएसई आंकड़ों की नमूना जांच किसी स्वतन्त्र एजेन्सी से करवाई जाए। प्रत्येक राज्य में से कम से कम दो जिले लेने की शर्त के साथ, 10 प्रतिशत जिलों का एक नमूना, नमूना–जांच के लिए लेने का सुझाव दिया गया था। तथापि, कुल मिलाकर समुचित दिशानिर्देशों, सत्यापन की मानक कार्यपद्धति की कमी और कमजोर अनुवीक्षण के कारण यूडीआईएसई आंकड़ों का सत्यापन शायद ही किया गया था। जहाँ यह किया जा रहा था, वहाँ पर रिपोर्टें भारी–भरकम पेपर रिपोर्ट थीं जिनका कभी भी विश्लेषण नहीं किया गया और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए फीडबैक उपलब्ध नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप, स्कूल प्रणाली ने आंकड़ों की सटीकता का मूल्यांकन करने, चूकों व कमियों की पहचान करने, आंकड़ों की गुणवत्ता में आगे–और–सुधार करने के लिए प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु सुधारात्मक उपायों से संबंधित सुझावों को मांगने जैसे नमूना–जांच के उद्देश्यों को हासिल करने के एक बेहतरीन अवसर को गंवा दिया।

5. समन्वयन एवं पर्यवेक्षण का अभाव

यूडीआईएसई की शुरुआत से ही, इसके सभी पहलुओं की देखरेख राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा किया गया था जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। समय के दौरान और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) व आरटीई अधिनियम की शुरुआत होने पर स्कूलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण स्कूल शिक्षा से संबंधित आंकड़ों को संभालने का कार्य एक बड़ी चुनौती बन गया। रा.शै.यो.प्र.सं. में सूचना की सहज एवं समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के कर्मचारियों के साथ समन्वय करने के लिए अपेक्षित संरचनात्मक ढांचे, विशेषज्ञता और अथोरिटी का अभाव था। इतना ही नहीं, यूडीआईएसई के कार्य की देखरेख एक परियोजना की भांति एक छोटी टीम के द्वारा की जा रही थी और आंकड़ों को एक प्राईवेट सर्वर में होस्ट किया गया था जिसके कारण यह अरक्षित थे।

6. आंकड़ों के संग्रहण के सॉफ्टवेयर के अनेक संस्करण

यूडीआईएसई की कमियों के कारण, बहुत से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने यूडीआईएसई डीसीएफ के लिए अपेक्षित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए अपने स्वयं के एमआईएस सिस्टम विकसित कर लिए। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर, विभाग को आंकड़ों के दो सैटों से जूझना पड़ा, एक तो यूडीआईएसई से आने वाले आंकड़ों से और दूसरे इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के एमआईएस से आने वाले आंकड़ों के प्रवाह से, जिनके दावे के अनुसार ये अधिक पुष्ट एवं सुसंगत थे। ये दोनों सैट एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न थे और अनेक मामलों में विभिन्नता बहुत अधिक थी। इस प्रकार, समय बीतने के साथ, यूडीआईएसई की सत्यता और उपयोगिता धीरे–धीरे घटती गई और राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों का समुच्चयीकरण कठिन हो गया।

शिक्षा प्लस एकीकृत जिला सूचना प्रणाली – (यूडीआईएसई+)

क. यूडीआईएसई में सुधार हेतु परामर्श की प्रक्रिया

यूडीआईएसई प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए, गत तीन वर्षों के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हितधारकों, ज्ञान–क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्यों के साथ परामर्श के अनेक दौर आयोजित किए। आईसीटी अनुप्रयोगों(एप्लीकेशनों) को लागू करने व प्रबंधन में अग्रणी माने गए, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों के दौरे किए गए व इनके साथ पारस्परिक विचार–विमर्श किए गए और इन राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के आधुनिक एमआईएस सिस्टमों का अध्ययन किया गया।

शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राज्यों के सचिवों एवं राज्य परियोजना निदेशकों (एसपीडी), जिला शिक्षा अधिकारियों आदि के पदधारियों के साथ विस्तृत मंत्रणाएं की गई और यूडीआईएसई प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करने में उनके समक्ष आ रही चुनौतियों के विषय पर उनके सुझाव मांगे गए। अन्तराष्ट्रीय निकायों यथा विश्व बैंक, यूनिसेफ और यूनेस्को के साथ भी विचार–विमर्श किया गया।

तीन वर्षों के अन्तराल में इन विस्तृत एवं गहन विचार–विमर्शों और सहकार्यों के बाद, इस विभाग ने यूडीआईएसई की कमियों की प्रतिक्रिया में और इस प्रणाली में मूल्यवर्धन करने वाली बहुत–सी विशिष्ट विशेषताओं वाली यूडीआईएसई+ प्रणाली को विकसित किया है।

ख. यूडीआईएसई+ की विशेषताएं

यूडीआईएसई+ की कतिपय विशेषताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1 आंकड़ा कैप्चर

2 आंकड़ा मैपिंग

3 आंकड़ा सत्यापन

4 आंकड़ा वैश्लेषिकी (एनालिटिक्स)

1. आंकड़ा कैप्चर

क) आंकड़ों को ऑनलाईन अपलोड करना

वास्तविक समय में सूचना के आदान–प्रदान को संभव बनाने के लिए, यूडीआईएसई+ आंकड़ों को ऑनलाईन अपलोड करना 2018–19 से अनिवार्य बना दिया गया है। क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों के ज्यादातर स्कूलों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है, इसलिए संघ राज्य क्षेत्रों को आंकड़ों को अनिवार्यतः ऑनलाईन अपलोड करने के लिए कहा गया है। राज्यों के मामले में, कागजी फार्मों को भरने अथवा आंकड़ों को ऑफलाईन भरने से संबंधित प्रावधान केवल उन दूरस्थ क्षेत्रों के लिए किया गया है जहाँ इलैक्ट्रॉनिकली आंकड़ों को अपलोड किया जाना संभव नहीं है। तथापि, ऐसे आंकड़ों को भी ब्लॉक स्तर पर इलैक्ट्रॉनिकली अपलोड करना पड़ेगा। अन्तर्निहित अधिप्रमाणन जांच इस सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं। इस प्रणाली की शुरुआत के साथ, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों और विभाग के लिए स्कूलों की प्रगति का अनुवीक्षण करने तथा आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण में लगने वाले समय को कम करने में सहजता होगी।

यूडीआईएसई+ की इस विशेषता से इस विभाग को यूडीआईएसई+ आंकड़ों में समाहित योजनाओं के विभिन्न घटकों, वित्तपोषण आदि के प्रावधानों की परोक्ष जांच करने में भी मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यह विभाग कम्प्यूटरों और इन्टरनेट कनेक्टीविटी के लिए निधि प्राप्त करने वाले परन्तु आंकड़ों को ऑनलाईन अपलोड न करने वाले स्कूलों को मानचित्र पर चिह्नित कर पाएगा। इस प्रकार की जांच के द्वारा स्कूल विशेष में उपकरणों के पहुंचने और इनके उपयुक्त इस्तेमाल को सुनिश्चित करा जा सकेगा।

ख) आंकड़ों को अपलोड करने वाले पदधारियों का पता लगाना और लेखापरीक्षा

डीसीएफ को सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकदम स्कूल से लेकर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र तक–प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को भरने और इसके लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के ब्यौरों को पकड़ने के लिए तैयार किया गया है। स्कूलों के प्रधान और कलस्टर संसाधन समन्वयक से आंकड़ों के सही होने का एक प्रमाणपत्र लेने को डीसीएफ का हिस्सा बनाया गया है। विभिन्न स्तरों (ब्लॉक, जिला और राज्य / यूटी) पर आंकड़ों को जमा करने के लिए केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब यह प्रमाणपत्र साथ होंगे। इन उपायों के कारण, इस प्रणाली में लेखापरीक्षा की श्रृंखला को बनाए रखा जा सकेगा। इससे जमा किए गए आंकड़ों के गलत पाए जाने पर, यह जिम्मेदारी तय करने में सहायक होगी। बड़ी विसंगतियों के होने पर संबंधित पदधारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी। इन उपायों से प्रत्येक स्तर पर आंकड़े उपलब्ध कराने वाले पदधारियों के उत्तरदायित्व में सुधार होने की अपेक्षा है जिसके बदले में, यूडीआईएसई+ में एकत्र किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता में काफी सुधार होगा।

ग) स्कूलों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग डीसीएफ

कक्षाओं की संख्या (कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 8 तक, 9 से 10 तक, 9 से 12 तक आदि) के आधार पर स्कूलों को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया है। आज की तारीख में, सभी राज्यों और यूटी में स्कूलों की ऐसी 18 श्रेणियां हैं। इसलिए विभाग ने स्कूल की प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल 18 डीसीएफ बनाए हैं। अब 1 से 5 तक की कक्षाओं वाले एक स्टैंडअलोन प्राथमिक स्कूल को केवल स्कूल की उस श्रेणी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की जरुरत होगी, जिसके कारण सभी प्रकार की दुविधा दूर हो जाएगी। जिसके परिणामस्वरुप डीसीएफ का आकार अत्यधिक घट गया है और स्कूल पहले वाली मोटी डीसीएफ जिसमें आधे प्रश्न उनसे संबंधित नहीं थे, उसकी तुलना में एक पतली–सी डीसीएफ पाकर प्रसन्न हैं। डैटा कैप्चर फोर्मेट के छोटा आकार डेटा एन्ट्री की गलतियों को दूर करने में काफी असरकारी होगा और इस प्रकार आंकड़े अधिक सुसंगत बन जाएंगे।

घ) डीसीएफ को युक्तिसंगत बनाना

स्कूलों में क्षेत्र परीक्षणों संचालित करने के बाद और उनसे प्राप्त जानकारियों के आधार पर, डीसीएफ में प्रश्नों को पुनः तैयार किया गया है ताकि वे आसान और समझने में पहले से अधिक सहज हों। असंगत तथा गैरजरुरी प्रश्नों को हटा दिया गया है और कुछ को संशोधित किया गया है। अतिरिक्त प्रश्नों को समग्र शिक्षा के अधीन नए घटकों यथा प्राथमिक–पूर्व, खेलों के उपकरण, पुस्तकालय में पुस्तकें, आईसीटी प्रयोगशाला, स्कूल की सुरक्षा आदि को शामिल करने के लिए समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार, डीसीएफ पहले से अधिक सुसंगत बनाए गए हैं और आंकड़ों को भरने वाले व्यक्ति इन प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं तथा सही आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं। इससे आंकड़ा प्रविष्टियों (डेटा एन्ट्री) में गलतियां भी कम होंगी।

ङ) वास्तविक काल में आंकड़ा संग्रहण

100% वास्तविक काल आंकड़ा अद्यतन नियत कालक्रम में संभव हो पाएगा। तब स्कूल, आंकड़ों को सीधे ही ऑनलाइन अद्यतन कर देंगे। इस प्रकार, संरचनात्मक ढांचे या नामांकन की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन होता है तो वह बिना किसी देरी के तथा नियमित अंतरालों पर पकड़ में आ सकता है और इस प्रकार राज्य एवं यूटी के साथ–साथ यह विभाग भी पहले की तरह, पूरे एक वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बजाय ठीक उसी दिन की स्थिति का अनुवीक्षण कर पाएगा। इसलिए वास्तविक काल के आंकड़ों से गत्यात्मक आयोजना और त्वरित कार्रवाई की पहल किया जाना संभव हो जाएगा।

च) नियंत्रण और पर्यवेक्षण

यूडीआईएसई आंकड़ों के समन्वयन, पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण और सुरक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए, यूडीआईएसई+ को अब राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सर्वर पर होस्ट किया गया है और इस विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन कर दिया गया है। केन्द्र और राज्य के अनेक सरकारी विभागों के सुरक्षित सर्वरों में विशाल डेटाबेस को सम्भालने का व्यापक अनुभव रखने वाला एनआईसी अब यूडीआईएसई+ का प्रभारी है। इस कदम के माध्यम से आंकड़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर के सभी तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल करने और राज्यों व यूटी के प्रश्नों का समाधान करने के लिए कार्मिकों का एक समर्पित समूह है। एनआईसी अपने स्वयं के एमआईएस रखने वाले राज्यों एवं यूटी को वैब–सर्विस भी उपलब्ध करा रहा है ताकि वे अपने आंकड़ों को यूडीआईएसई+ पोर्टल पर निर्बाध रूप से अपलोड कर सकें। इन उपायों के कारण आंकड़ों की गैर–एकरूपता और विचलन से संबंधित पहलेवाली समस्याएं दूर हो गई हैं। विभाग के विशिष्ट अधिकारियों को इस संबंध में किसी प्रकार के बकाया मुद्दों के सहज और त्वरित समाधान पर नजर रखने के लिए राज्यों और यूटी के साथ समन्वयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने से संबंधित अनेक प्रशिक्षण सत्रों को राज्यों एवं यूटी के लिए चलाया गया है।

क्योंकि यूडीआईएसई+ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन है, इसलिए आंकड़ों की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य और यूटी के शिक्षा विभागों के विभिन्न स्तर के पदधारियों के द्वारा की जाने वाली नमूना जांचों को लागू किया जा सकता है। वास्तव में, राज्यों और यूटी को जारी अनुदेशों में स्तर–वार, नमूना जांच शामिल रहती हैं।

2. आंकड़ा प्रतिचित्रण–स्कूलों का जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) प्रतिचित्रण (मैपिंग)

यूडीआईएसई+ की एक नई विशेषता जीआईएस स्कूल प्रतिचित्रण यूडीआईएसई+ आंकड़ों के साथ भू–स्थानिक डेटाबेस को जोड़ती है। इस अनुप्रयोग(एप्लीकेशन) में भौतिक विशेषताओं यथा स्कूल जहाँ पर स्थित है उस क्षेत्र की स्थलाकृति को दर्शाने वाली बेस मैप सर्विसिज़ पर स्कूल को प्रतिचित्रित किया जाता है। ऐसे अनेक तरीके हैं जिनसे स्कूलों के जीआईएस प्रतिचित्रण के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इनमें से एक स्कूल–समेकन का क्षेत्र है जिसके संबंध में उन मामलों में विचार किया जा रहा है, जहाँ एक अत्यन्त छोटे भौतिक क्षेत्र में बहुत सारे छोटे–छोटे अलाभकारी स्कूल एक साथ चल रहे हैं।

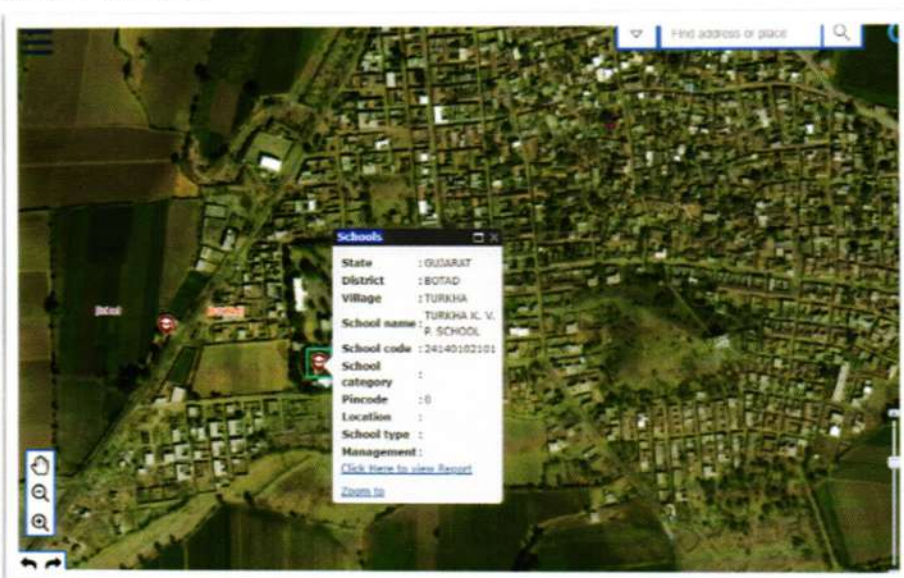

दृष्टांत के लिए, आरटीई अधिनियम की धारा 6 में प्राथमिक स्कूल निर्धारित क्षेत्र, प्राथमिक स्कूल के लिए 1 कि.मी., उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए 3 कि.मी. के भीतर बच्चों की पहुंच में होने का प्रावधान है। विस्तृत जांच में पता चला है कि सभी स्टैंडअलोन प्राथमिक स्कूलों में से लगभग 28% और उच्च प्राथमिक स्कूलों/सैक्शनों में से 15% में 30 बच्चों से कम का दाखिला हुआ है। ऐसे भी 10% स्टैंड–अलोन प्राथमिक स्कूल हैं जिनमें 15 से कम विद्यार्थी दाखिल हैं। इन स्कूलों में केवल एक अध्यापक है और कम दाखिले के कारण सुविधाएं भी सीमित हैं। ऐसे स्कूलों को अलाभकारी माना जा सकता है।

कुछ राज्यों में इन स्कूलों के किए गए स्थिति–वार विश्लेषण से पता चला कि बहुत से ग्रामों अथवा मोहल्लों में ऐसे दो या दो से अधिक अलाभकारी सरकारी स्कूल आस–पास के क्षेत्र में चल रहे हैं।

किए गए इस विश्लेषण से पता चला कि इन दो या अधिक छोटे स्कूलों में वर्तमान में बंटे हुए बच्चों और संसाधनों को बस्ती के भीतर एकसाथ आपस में मिला दिया जाए तो इससे न केवल बेहतर शिक्षण–अधिगम वातावरण उपलब्ध होगा बल्कि स्कूल भी आरटीई का अनुपालन करनेवाले बन जाएंगे। इस दृष्टिकोण से, राज्यों ने किसी नियत बस्ती में आरटीई अधिनियम की शर्त के अनुसार स्कूल समेकन आरम्भ कर दिया है।

तथापि, स्कूलों के बीच की केवल हवाई दूरी के आधार पर समेकन किया जाना शायद हर बार के लिए सही तरीका नहीं होगा। ऐसे कई दृष्टांत हैं जहाँ पर स्कूल आरटीई में निर्धारित दूरी के मानदंड के तहत आते हों और दाखिला कम हो, तो भी प्राकृतिक बाधाओं जैसेकि नदियों, पहाड़ियों, घाटियों और मानव द्वारा किया गया निर्माण जैसेकि राजमार्ग, रेल–फाटक आदि के कारण स्कूलों का विलय करना संभव या वांछनीय नहीं है। ऐसे मामलों

को चिह्नित करने हेतु, जीआईएस आधारित एप्लीकेशन के द्वारा उपलब्ध करायी गई उस क्षेत्र की स्थलाकृति की सूचना अत्यन्त जरुरी है क्योंकि यह न केवल स्कूल परिसरों के स्थल की ठीक–ठीक स्थिति इंगित करेगी बल्कि पड़ोस में स्थित अन्य स्कूलों की स्नैपशॉट और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं की जानकारी भी उपलब्ध कराएगी।

स्कूल के विलय का निर्णय करने से पूर्व, विलय किए जाने वाले स्कूलों के बीच की दूरी के अलावा, स्कूलों के कतिपय पैरामीटरों पर ध्यान दिया जाना भी महत्वपूर्ण है जैसेकि स्कूल का प्रबंधन, स्कूल की श्रेणी, दाखिला, अध्यापकों की संख्या, संरचनात्मक ढांचा यथा शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि और स्कूल के भवन एवं कक्षाओं की स्थिति पर भी विचार करना पड़ेगा। इसलिए, वह स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी जिसमें ये सभी हैं, अक्षांश एवं देशांतर और स्कूल के इलाके सहित उसकी भौतिक अवस्थिति के अतिरिक्त, जीआईएस प्रतिचित्र का एक हिस्सा होगा।

इसके अलावा, एक समान रूप से संसाधनों के आबंटन के बारे में निर्णय करने में, भौगोलिक विशेषताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप में स्कूल 10 द्वीपों में 3 ब्लॉकों में फैले हुए हैं। स्कीमों के मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक के लिए संसाधनों का प्रावधान करना इष्टतम समाधान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में ब्लॉक स्तर के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए थे। इसलिए लक्षद्वीप को 3 कम्प्यूटर प्राप्त होने थे क्योंकि इसमें 3 ब्लॉक हैं। हालांकि, जीआईएस प्रतिचित्रण ने स्पष्ट रूप से दर्शाया था कि यह ग़लत आयोजना थी और बाद में लक्षद्वीप को प्रत्येक द्वीप के लिए एक कम्प्यूटर प्राप्त हुआ।

इस प्रकार, यूडीआईएसई+ इस जीआईएस प्रतिचित्रण की विशेषता के कारण सभी 15 लाख स्कूलों का प्रतिचित्रण करके एक लंबी छलांग लगाएगी और इसके द्वारा विभाग स्कूलों को ढूंढने, चिह्नित करने, विश्लेषित करने और वितरण को तर्कसंगत बना पाएगी।

3. आंकड़ों का सत्यापन

यूडीआईएसई+ के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, यूडीआईएसई+ की विशेषताओं में से एक तीसरे पक्ष से सत्यापन से संबंधित अनुप्रयोग (एप्प) है। इस एप्प को किसी भी स्मार्टफोन में डाला जा सकता है और यूडीआईएसई+ पर स्कूलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को उसी स्थान पर सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जांच परीक्षण एक यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा और मोबाईल एप्प में निम्नलिखित विशेषताएं होंगीः

1. स्कूलों के फोटोग्राफ को मोबाईल के यंत्र में सेव करके रखे बिना सीधे एनआईसी सर्वर पर अपलोड करने का प्रावधान
2. समय–सटीकता को सुनिश्चित करने हेतु अपलोड का समय सर्वर से उठाया जाएगा न कि यंत्र से।
3. यह एप्प निम्न बैंडविड्थ के इन्टरनेट के साथ इमेज को अपलोड करने में सहजता को सुनिश्चित करेगा।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही सत्यापन करें, एक ओटीपी उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर भेजा जाएगा।
5. यह एप्प, सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक उसी स्थान पर किया गया सत्यापन है और रिपोर्ट को किसी अन्य स्थान से अपलोड नहीं किया जा रहा है, सत्यापन करने वाले व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करेगी।

6. यदि सत्यापन के समय अपलोड किए गए आंकड़े यूडीआईएसई+ डेटाबेस के आंकड़ों से भिन्न हैं तो यह एप्प विसंगति रिपोर्ट उत्पन्न करेगा जिसे संबंधित राज्यों / यूटीज़ को समाधान के लिए भेज दिया जाएगा।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.स.वि.म. और इसके संलग्न कार्यालयों, राज्यों के शिक्षा विभागों, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के पदधारी, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी आदि इस एप्प की सहायता से यूडीआईएसई+ में स्कूलों के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना का प्रत्यक्ष सत्यापन करेंगे। स्कूल की श्रेणी के आधार पर विभिन्न फोर्मेट यूडीआईएसई+ के तहत विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़ों को सत्यापित करने हेतु बनाए गए हैं। जीआईएस प्रतिचित्रण सॉफ्टवेयर द्वारा सक्षम बनाया गया यह एप्प भू निर्देशांकों (जियो कोर्डिनेट्स) की सहायता से स्थान का पता लगाने में मदद करेगा। यह एप्प पास–पड़ोस के संदर्भ में भी स्कूलों को निर्देशित करेगा और आंकड़ों को सत्यापित करनेवाला पदधारी यादृच्छिक आधार पर इन स्कूलों का दौरा कर सकेगा। जहाँ पर भी इन्टरनेट कनेक्टिविटी होगी वहाँ से आंकड़ों को तत्क्षण सर्वर में संचारित (ट्रांसमिट) किया जा सकेगा। यदि कनेक्टिविटी न हो तो आंकड़ों को स्टोर किया जा सकेगा और बाद में इन्टरनेट की कनेक्टिविटी वाले स्थान से भेजा जा सकेगा।

इस फोर्म में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग, वांछित परिणाम हासिल करने हेतु फंड के दुरुपयोग को रोकने में और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा।

4. आंकड़ा वैश्लेषिकी (एनालिटिक्स)

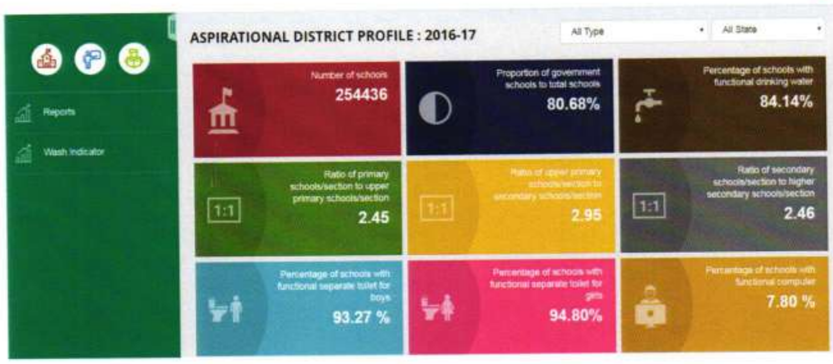

स्कूलों का एक सुदृढ़ डेटाबेस तैयार करना केवल तभी सार्थक होगा जब बाद में संग्रहित आंकड़ों का एक उपयुक्त विश्लेषण किया जाए और आंकड़ों को ऐसी उपयोगी सूचना में रूपान्तरित कर लिया जाए जिसे साक्ष्य–आधारित निर्णयों को लेने और नीति का निर्माण करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। विश्व की विशालतम स्कूल शिक्षा प्रणालियों में से एक के द्वारा जनित आंकड़ों की विशाल राशि (मात्रा), विविधतापूर्ण पहलुओं (किस्मों) की सूचना तथा एक परिणामकारी और निर्बाध वास्तविक काल की सूचना संचयन प्रणाली के माध्यम से संभव बनाई गई आंकड़ों की गति (वेग) के साथ, इस क्षेत्र में बिग डेटा मैनेजमैंट और एनालिटिक्स के अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन्ज़) के लिए मंच तैयार हो जाएगा। यूडीआईएसई+ के आंकड़ा वैश्लेषिकी (एनालिटिक्स) अनुभाग को एक स्वचालित प्रोग्राम द्वारा चलाया जाएगा जो राज्य और यूटी वार स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित पैरामीटरों की वास्तविक–काल रिपोर्ट उत्पन्न करेगा। रूझानों, पैटर्नों और संबंधों को चिह्नित किया जाएगा। यह सिस्टम आवश्यकता के अनुसार प्रश्न आधारित रिपोर्टों और चार्टों को तैयार करने की जरुरत को पूरा करने में भी सक्षम होगा। इसमें वित्तीय परिव्यय की तुलना में भौतिक प्रगति का अभिवीक्षण करने (ट्रैकिंग) और सह–संबद्ध करने की अन्तर्निहित विशेषता होगी। आंकड़ों के टाईम सीरीज़ और क्रॉस सैक्शनल विश्लेषण भी इस सिस्टम के द्वारा संभव होंगे।

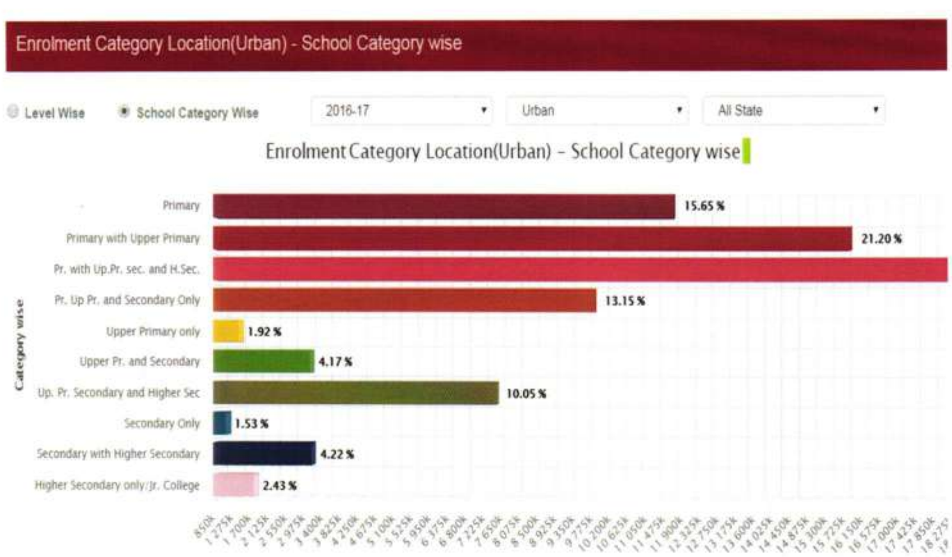

टिप्पणी: पृष्ठ 12 और 13 के चार्टों और ग्राफों में दर्शाए गए आंकड़े दृष्टांतस्वरुप है और वास्तविक आंकड़े शामिल नहीं हैं।

बिग डेटा एनालिटिक्स के सभी चार रूप अर्थात् वर्णनात्मक, निदानात्मक, संभाव्यात्मक और निदेशात्मक यूडीआईएसई+ के इस अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) में संभव होंगे। वर्णनात्मक विश्लेषण अस्तित्वाधीन स्थिति की एक व्याख्या होगी और जिसे एक डैशबोर्ड में व्यापक सूचना के साथ समझाया जाएगा, यथा स्कूलों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, अध्यापकों की संख्या आदि।

अध्यापकों की संख्या (स्थान)

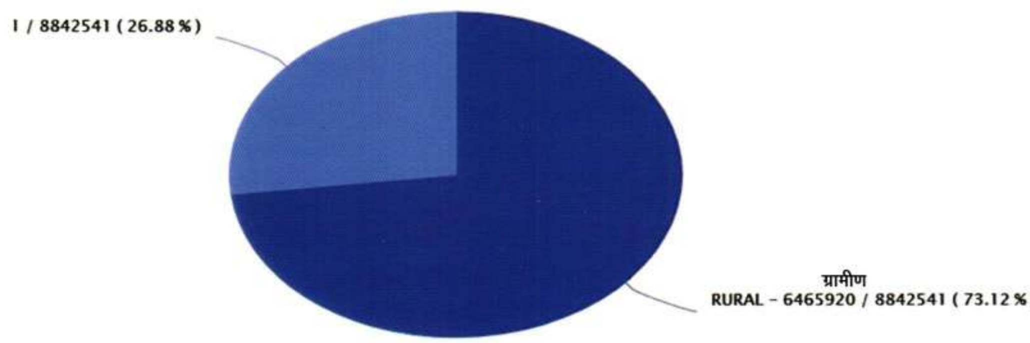

निदानात्मक विश्लेषण समयावधि के दौरान प्रेक्षित विशिष्ट घटनाओं के कारणों का पता लगाने में मददगार होगा उदाहरण के लिए क्या स्कूल अध्यापकों द्वारा लिए गए सेवाकालीन प्रशिक्षणों की बारंबारता से अधिगम के परिणाम प्रभावित हुए हैं। संभाव्यता विश्लेषण से भूतकाल की सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर भविष्य के संभावित परिदृश्यों के पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी उदाहरण के लिए यदि अधिगम के परिणामों और सेवाकालीन प्रशिक्षणों की आवृत्ति के मध्य एक सुदृढ़ सह–संबंध है तो सम्पूर्ण देश में ऐसे प्रशिक्षण देने के लिए कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। हालांकि, सर्वाधिक समग्रतापूर्ण निदेशात्मक विश्लेषण रहेगा जिससे यह ज्ञात होगा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए किस प्रकार के नीतिगत हस्तक्षेपों की जरुरत पड़ेगी उदाहरण के लिए

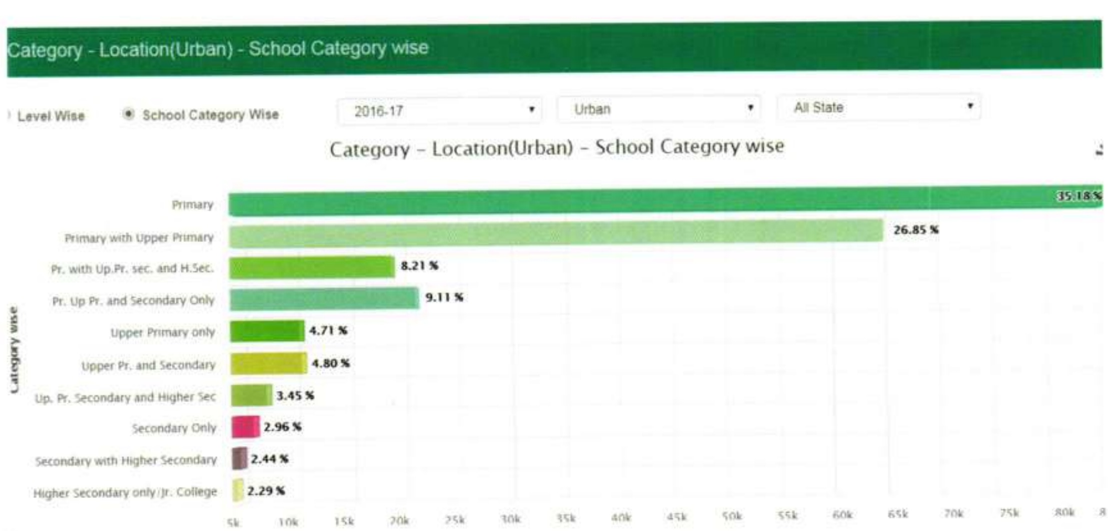

अधिगम परिणामों और अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षणों के बीच सह–संबंध स्थापित करनेवाले निदानात्मक विश्लेषण और ऐसे प्रशिक्षकों की जरुरत के संभाव्यात्मक विश्लेषण के आधार पर, निदेशात्मक विश्लेषण इसकी व्याख्या करेगा कि सम्पूर्ण देश में गुणवत्ता और मात्रा दोनों के हिसाब से ऐसे प्रशिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। इन विश्लेषणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएंगी जो आंकड़ों के जटिल समुच्चयों को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टियों में परिवर्तित कर देंगी।

निष्कर्ष

यूडीआईएसई+ निःसन्देह इसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सुधार देगा जिससे इनके विश्लेषण पहले से अधिक पुष्ट एवं सटीक बन जाएंगे। वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली राज्यों की कार्यनिष्पादन श्रेणीकरण सूचकांक रिपोर्ट काफी हद तक यूडीआईएसई+ से ली गई सूचना वाले संकेतकों पर आधारित होती है। इस सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता लगाए गए अनुमानों को अधिक सटीक बना देगी जिससे राज्य और यूटी साक्ष्य आधारित आयोजना और प्रणाली में सुधार करने के लिए उचित हस्तक्षेपों को तैयार करने में सक्षम बन पाएंगे। यूडीआईएसई+ प्रणाली की वर्णनात्मक विश्लेषण की विशेषता नीतिगत हस्तक्षेपों के पुष्टीकरण में सहायक होगी। सटीकता और सुसंगतता में वृद्धि करनेवाली अन्तर्निहित विशेषताओं के साथ सत्यापन की एप्प सुनिश्चित करेगी कि केन्द्र और सभी राज्यों एवं यूटीज़ का स्कूल शिक्षा से संबंधित पर्याप्त बजट प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाला सिद्ध हो। प्रणाली की आंकड़ा प्रतिचित्रण और आंकड़ा वैश्लेषिकी देश के सामान्य नागरिकों को भी समसामयिक और विश्वसनीय तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ स्कूल शिक्षा प्रणाली के राष्ट्रीय, उप राष्ट्रीय और स्थानीय विस्तार–क्षेत्र का सिंहावलोकन उपलब्ध कराता है। यह इस क्षेत्र के अनुसंधानकर्ताओं को आँकड़ा खनन और विश्लेषण के लिए एक ही स्थान पर बड़ा भंडार भी उपलब्ध कराती है।

डीआईएसई+ सॉफ्टवेयर के स्क्रीन–शॉट

1. मुख पृष्ठ (होम पेज)

यूडीआईएसई+ सॉफ्टवेयर के मुख पृष्ठ में विभिन्न स्तर पर लॉग–इन कर सकते हैं। किसी भी स्तर पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता संबंधित स्तर के लॉग–इन पेज पर सीधे पहुंच जाएगा।

2. लॉग–इन पेज :

स्कूल लॉग–इन के लिए, स्कूल का यूडीआईएसई कोड ही उपयोगकर्तानाम है। पासवर्ड ब्लॉक एमआईएस समन्वयक द्वारा दिया जाएगा।

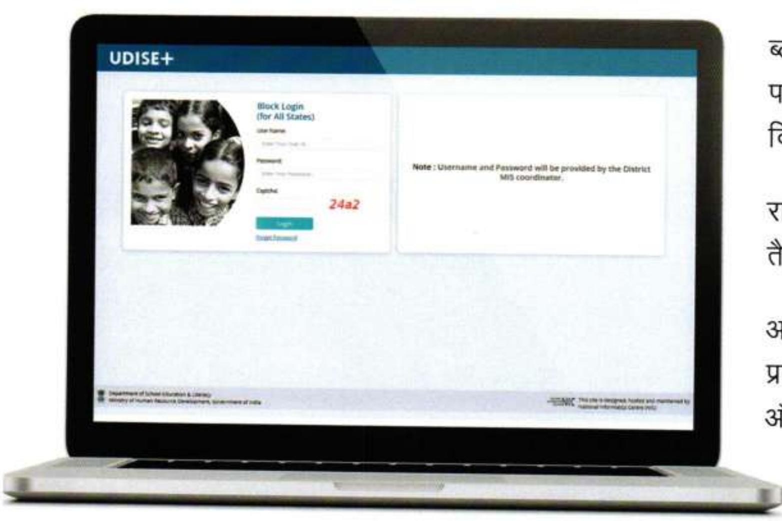

ब्लॉक लॉग–इन के लिए, उपयोगकर्तानाम और पासवर्ड जिला एमआईएस समन्वयक द्वारा दिया जाएगा।

राज्य और जिला के लिए समान लॉग–इन पेज तैयार किए गए हैं।

अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) में राज्यों और यूटीज़ के प्रत्येक स्तर पर, अर्थात् स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य के लिए अलग लॉग–इन है।

3. राज्य/जिला/ब्लॉक प्रशासन के लिए डैशबोर्ड

यह जिला प्रशासन से संबंधित डैशबोर्ड है जो लॉग–इन के बाद स्क्रीन पर उभरेगा। कोई उपयोगकर्ता राज्य के नाम पर क्लिक करके और–अधिक सूचना देख सकता है। राज्य और ब्लॉक स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिए भी इसी प्रकार के पेज सॉफ्टवेयर में हैं।

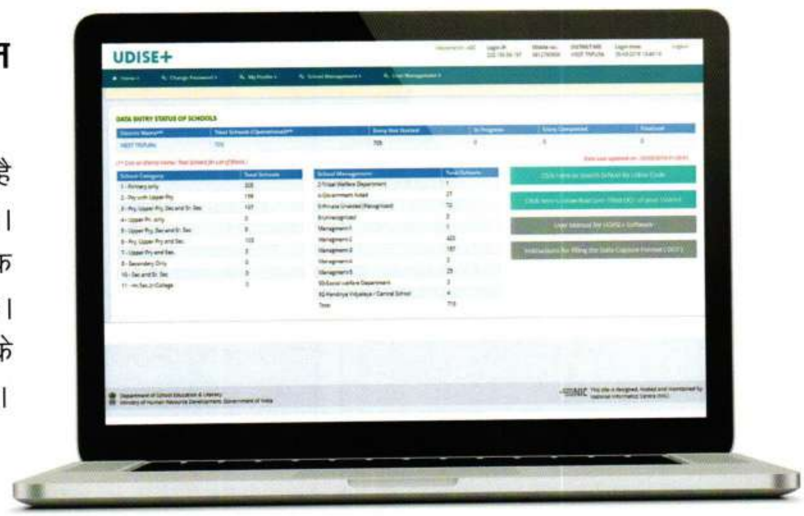

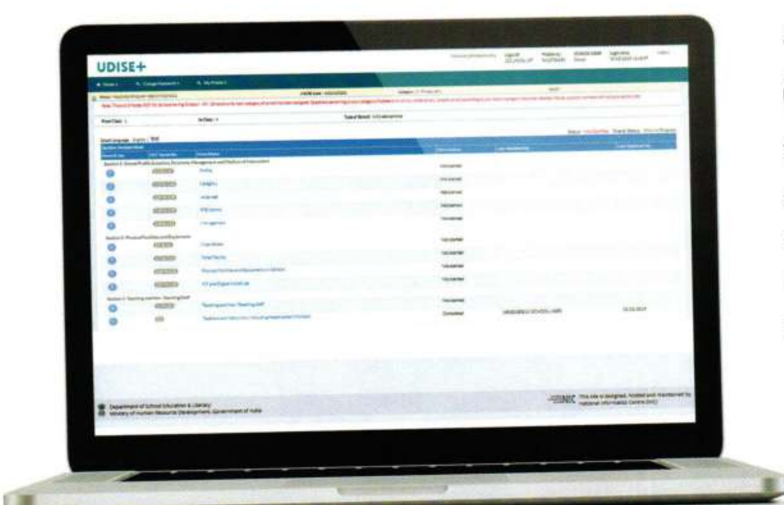

4. डेटा कैप्चर फोर्मेट (डीसीएफ)

डीसीएफ को बांई ओर के चित्र में दिए गए अनुसार अनेक अनुभागों में बांटा गया है। यह स्कूल उपयोगकर्ता का पेज है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता विभिन्न प्रपत्रों पर क्लिक करके उस स्कूल विशेष के डेटा कैप्चर फोर्मेट (डीसीएफ) को भर सकता है।

5. स्कूल के लिए इनपुट प्रपत्र

पूर्वपृष्ठ के खंड 4 के स्क्रीन शॉट में दिए गए लिंक में से किसी पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता उस लिंक विशेष के विस्तृत इनपुट प्रपत्र पर पहुंच जाएगा।

18 संस्करणों के साथ एक मास्टर डीसीएफ स्कूल की श्रेणी के आधार पर तैयार किया गया है। केवल स्कूलों की चुनी हुई श्रेणी विशेष से संबंधित प्रश्नों को रखा गया है। स्कूलों की चुनी हुई श्रेणी विशेष से असंबद्ध प्रश्नों को हटा दिया गया है। इसलिए, शायद प्रश्न क्रमवार न उभरें।

राज्यों के लिए डाटा अभिग्रहण प्रपत्र (डीसीएफ) को भरने हेतु अनुदेश और प्रत्येक स्तर पर प्रयोगकर्त्ता के कार्य एवं उत्तरदायित्व

वर्ष 2018–19 से, स्कूल डाटाबेस संबंधी जानकारी एनआईसी, एमएचआरडी द्वारा तैयार किए गए नये साफ्टवेयर (यूडीआईएसई+) में एमएचआरडी द्वारा एकत्र की जाएगी। यह साफ्टवेयर रीयल टाइम तथा ऑनलाईन है।

क. सामान्य अनुदेश :

यूडीआईएसई + साफ्टवेयर ऑनलाईन है। तथापि, चूंकि सभी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए जहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां स्कूलों को ऑफलाईन डीसीएफ भरने की भी छूट दी जा रही है। **तथापि, ब्लॉक स्तर पर, सम्पूर्ण डाटा प्रविष्टि ऑनलाईन होना चाहिए।**

1. स्कूल, जिनमें इंटरनेट सुविधा है, को डाटा को सीधे ऑनलाईन यूडीआईएसई + साफ्टवेयर में उपलब्ध कराना है। स्कूल का यूडीआईएसई कोड प्रयोगकर्त्ता नाम है तथा सभी स्कूलों के लिए साफ्टवेयर का पासवर्ड ब्लॉक एमआईएस समन्वयक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
2. स्कूल, जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, को ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डीनेटर (बीआरसी) / क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डीनेटर (सीआरसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक डीसीएफ को भरना होगा। ब्लॉक एमआईएस कोआर्डिनेटर / डाटा इंट्री ऑपरेटर यूडीआईएसई + साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए ऐसे सभी स्कूलों के डाटा को ऑनलाईन फीड करेगा।
3. जानकारी को स्कूल यूडीआईएसई कोड के अनुसार राज्य में सभी स्कूलों के संबंध में तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें निजी स्कूल, मदरसा, सरकारी सहायताप्राप्त स्कूल तथा सभी सरकारी स्कूल जो अलग–अलग विभागों / संगठनों के देखरेख में चल रहे हों, शामिल हैं।
4. स्कूल रजिस्टरों तथा अन्य सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर नवीनतम सही एवं प्रामाणिक जानकारी को दर्ज किया जाना चाहिए।

5. समस्त डाटा का निम्नलिखित द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए :

I. वरिष्ठ माध्यमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए : प्रधानाचार्य / उप–प्रधानाचार्य

II. प्रारंभिक स्कूलों हेतु : प्रधान अध्यापक / प्रधान मास्टर

III. प्राथमिक स्कूलों एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के संबंध में : प्रधान अध्यापन / वरिष्ठतम अध्यापक

ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों को डीसीएफ में समस्त डाटा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्हें अति सावधानी बरतनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि डाटा सही है।

6. यदि स्कूल आनलाईन डीसीएफ को सीधे भरता है, तब इसे उस व्यक्ति के पूरे ब्यौरे दिए जाने होंगे, जो जानकारी अपलोड कर रहा है। यह व्यक्ति उपरोक्त क्रमांक सं. 5 में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न हो सकता है अथवा वही व्यक्ति हो सकता है। इस व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी होना चाहिए अथवा संविदा आधार पर अथवा किसी एजेंसी आदि से होना चाहिए। इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि व्यक्ति कौन है, डीसीएफ में उसके / उसकी पूर्ण ब्यौरे को भरना अनिवार्य है।

ख. ऑफलाईन तरीके से डाटा भरने के लिए निर्देश (केवल स्कूल स्तर पर)

यूडीआईएसई + की सफलता कार्यों / जिम्मेदारियों के स्पष्ट विनिर्देशन का दायित्व उस व्यक्ति पर होगा जो स्कूल स्तर से राज्य स्तर तक कार्यमें शामिल होगा। प्रबंधन पर ध्यान दिए बगैर सभी स्कूलों को पूर्ववर्ती प्रथा के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए। यूडीआईएस + में स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी को सिर्फ रिकॉर्ड आधारित होना चाहिए।

i. स्कूल स्तर :

1. जहां विषय को इंटर किया जाना हो, वहां इसे केवल बड़े अक्षरों में होना चाहिए। सभी संख्यात्मक डाटा को संख्यात्मक संख्या में उपलब्ध कराया जाना चाहिए अर्थात 1, 2, 3, 4 ..... आदि।

2. उन स्थानों में उपयुक्त कोड इंटर करना चाहिए, जहां इस तरह का प्रावधान मौजूद हो। सही कोड नम्बर भरने में सावधानी बरतनी चाहिए, जैसा कि डीसीएफ में उल्लेख किया गया है।

3. डीसीएफ में घसीट मार ले ख में न लिखें। इसे साफ–सुथरा रखना चाहिए। गलत इंट्री को काटने की बजाय गलत इंट्री पर लिखाई के ऊपर न लिखें और सही इंट्री को इसके ऊपर लिखें।

4. सभी खानों को पूरी तरह से भरना चाहिए। किसी भी खाने को खाली नहीं छोड़ना चाहिए।

5. क) उपरोक्त 5क में अधिकृत व्यक्ति को डाटा का सत्यापन करना चाहिए और संशोधन की स्थिति में पृष्ठ के बाएं भाग में हस्ताक्षर करने चाहिए।

   ख) उसे नवीकरण सूची के हिसाब से काम करना चाहिए और डाटा को सत्यापन हेतु बीआरसी / सीआरसी को सौंपना चाहिए तथा कम्प्यूटरीकरण हेतु आगे भेजना चाहिए।

   ग) उसे स्टाम्प के साथ डीसीएफ के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

6. सत्यापित एवं अंतिम रूप से तैयार डीसीएफ को बीआरसी / सीआरसी को प्रस्तुत करना चाहिए।

ii. कलस्टर स्तर :

सीआरसी की अनुपस्थिति में नोडल स्कूल का सीआरसी / एचएम (किसी स्कूल को नोडल स्कूल के रूप में नामित करने के लिए रोकना जहां सीआरसी नहीं हो) कलस्टर में सभी स्कूलों के संबंध में यूडीआईएसई + नवीकरण प्रक्रिया हेतु प्रभारी नोडल होगा। प्रभारी नोडल अपने संबंधित स्कूलों के संबंध में डाटा की अधिप्रमाणिकता के संबंध में जिम्मेदार होगा। वह निम्नलिखित कार्यकलाप पूरा करेगा / करेगी :

1. ब्लॉक एमआईएस यूनिट से डीसीएफ को एकत्र करेगा और कलस्टर में उन स्कूलों को वितरित करेगा, जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है।
2. वह डीसीएफ में डाटा भरने के लिए प्रधान मास्टर / जिम्मेदार व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
3. वह उसके / उसकी क्षेत्राधिकार में प्रत्येक स्कूल के संबंध में पेश किए गए डाटा की परिपूर्णता एवं परिशुद्धता के संबंध में प्रमाणपत्र देगा।
4. स्कूलों से अद्यतनीकृत डीसीएफ प्राप्त करेगा।
5. डीसीएफ को ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर का सौंपने से पहले डाटा का 100 प्रतिशत सत्यापन करेगा।
6. वह अपने / अपनी क्षेत्राधिकार में सभी स्कूलों में एकत्र डाटा की परिपूर्णता एवं परिशुद्धता के संबंध में एक प्रमाणपत्र देगा।

ग. आनलाईन तरीके में डाटा भरने के लिए अनुदेश

i. स्कूल स्तर :

1. स्कूल, ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर से प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड प्राप्त करेगा।
2. स्कूल यूडीआईएसई + वेबसाइट (यूआरएल : www.udiseplus.gov.in) को खोलेगा।
3. होम पेज पर ''लॉगइन'' को क्लिक करेगा। वेबसाइट में लॉगिंग हेतु ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर द्वारा उपलबध कराए गए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड को इंटर करेगा।
4. प्रयोगकर्त्ता को पहले सफल लागिन के बाद पासवर्ड को सुरक्षित पहुंच हेतु बदलना चाहिए। बाद में, पासवर्ड को आवश्यकतानुसार कई बार बदला जा सकता है।
5. डाटा भरने से पहले, स्कूल को वेबसाइट से प्रयोगकर्त्ता मैनुअल को डाउनलोड कराना चाहिए।
6. डीसीएफ को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना और ऑनलाईन डाटा इंटर करने से पहले डाटा को तैयार करना व्यवहार्य होगा।
7. उपरोक्त ए5 में अधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध जानकारी को मॉनीटर करना चाहिए, देखरेख करनी चाहिए और अधिप्रमाणिकता की जांच करनी चाहिए।
8. सत्यापित एवं अंतिम रूप से तैयार डीसीएफ को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाएगा।

ii. कलस्टर स्तर :

1. पोर्टल में अपलोड की गई जानकारी की यथार्थतता को मॉनीटर करना, पर्यवेक्षित करना तथा क्रॉस जांच करना।
2. डीसीएफ को ब्लॉक एनआईएस कोआर्डीनेटर को पेश करने से पहले डाटा की 100 प्रतिशत जांच करना।
3. अपने/अपनी क्षेत्राधिकार में सभी स्कूलों के संबंध में पेश किए गए डाटा की परिपूर्णता एवं परिशुद्धता के संबंध में प्रमाणपत्र देना।

घ. ब्लॉक स्तर पर अनुदेश :

ब्लॉक स्तर से समस्त डाटा इंट्री ऑनलाईन होगी

उन स्कूलों के लिए, जो ऑफलाईन डाटा भर रहे हैं, बीआरसी, सीआरसी को डीसीएफ वितरित करेगा और उनसे भरे गए डीसीएफ को पुनः वापस लेगा।

बीआरसी/बीईओ क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं, जो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूलों से यूडीआईएसई + डाटा को एकत्र करने की एकमात्र जिम्मेदारी लेते हैं। जहां कोई ब्लॉक नहीं हो, वहां डीपीसी/डीईओ सीआरसी अथवा किसी अन्य अधिकारी को उसके/उसकी क्षेत्राधिकार में यूडीआई एसई + साफ्टवेयर में सभी स्कूलों के डाटा को इंटर करने के जिम्मेदारी सौंपेगा। बीआरसी/बीईओ/ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर अपने निर्धारित ब्लॉकों में निम्नलिखित कार्य पूरा करेंगे और संबंधित ब्लॉकों में कार्य पूरा नहीं होने के संबंध में जिम्मेदार होंगे।

1. डीसीएफ में डाटा भरने की प्रक्रिया के संबंध में सीआरसी को प्रशिक्षित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा।
2. सीआरसी एवं स्कूलों का लॉग रजिस्टर रखेगा और उसे सौंपे गए ब्लॉकों में सभी स्कूलों से नवीनतम डीसीएफ के नवीकरण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करेगा।
3. क) ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर (प्रयोगकर्त्ता) यूडीआईएसई + साफ्टवेयर (यूआरएल : udiseplus.gov.in) को खोलेगा।

   ख) होम पेज पर "लॉगइन" को क्लिक करेगा। वेबसाइट को लॉगइन करने के लिए जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड को इंटर करेगा।

   ग) प्रयोगकर्त्ता को पहले सफल लॉगइन के बाद सुरक्षित पहुंच हेतु पासवर्ड को बदल लेना चाहिए। बाद में आवश्यकतानुसार पासवर्ड को कई बार बदला जा सकता है।

   घ) वेबसाइट से प्रयोगकर्त्ता मैनुअल को डाउनलोड करें।

   ङ) स्कूलों द्वारा डाटा इंट्री की प्रगति को मॉनीटर करना, जो साफ्टवेयर के जरिए ऑनलाईन डाटा उपलब्ध करवा रहे हैं।

   च) उन स्कूलों के डाटा को इंटर करें, जिन्होंने वास्तविक डीसीएफ में डाटा उपलब्ध करवाया है।

4. यूडीआईएसई + डीसीएफ में अध्यापक सारणी के सभी पैरामीटरों की बीआरसी द्वारा सरकारी एवं सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों के संबंध में पूरी तरह जांच की जानी चाहिए।
5. क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से जानकारी की अधिप्रामाणिकता की क्रॉस जांच करना। कम से कम 30 प्रतिशत स्कूलों की नमूना आधार पर जांच की जानी चाहिए।
6. कार्य के प्रगति की जिला परियोजना कार्यालय (एमआईएस यूनिट) को समय पर सूचना देना।
7. बीआरसी/ओईओ उसके/उसकी क्षेत्राधिकार में स्कूलों के लिए उपलब्ध कराए गए डाटा के लिए जिम्मेदार होंगे।
8. बीआरसी/बीईओ अपने क्षेत्राधिकार में डाटा के 100 प्रतिशत विस्तार एवं यथार्थतता के संबंध में प्रमाणीकरण देगा। प्रमाणीकरण के बगैर डाटा को अगले स्तर पर पेश नहीं किया जा सकता।
9. प्रामाणीकरण के बाद ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर आनलाईन जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर को डाटा पेश करेगा

ङ जिला स्तर पर अनुदेश :

जिला कलेक्टर (डीसी)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को यूडीआईएसई + की सफलता के लिए टीमों का गठन करने में व्यक्तिगत रूचि लेनी चाहिए। जैसा कि डीसी/सीईओ जिला प्रशासन का प्रमुख होता है; यह व्यवहार्य है कि सभी संबंधित अधिकारियों के लिए एक जॉब चार्ट तैयार किया जाना चाहिए और डीसी/सीईओ के हस्ताक्षर से जारी करना चाहिए।

जिला परियोजना कोआर्डीनेटर (डीपीसी)/जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सभी स्कूलों के संबंध में अपने जिलों में यूडीआईएसई + के क्रियान्वयन की समग्र प्रक्रिया को मॉनीटर करेंगे और अपने जिले में सम्पूर्ण प्रक्रिया का समय पर समापन को सुनिश्चित करेंगे। डीपीसी/डीईओ/जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर निम्नलिखित कार्य पूरा करेंगे :

1. सुनिश्चित करेगा कि कोई भी स्कूल यूडीआईएसई + मास्टर लिस्ट से छूटा नहीं है और स्कूलों के प्रबंधन एवं श्रेणी कोडों की पुष्टि की जाती है तथा यूडीआईएसई + डीसीएफ के प्रिंट होने से पहले जिला स्तर पर यूडीआईएसई + साफ्टवेयर में शामिल किया जाता है।
2. प्रिंट करना तथा मुद्रित डीसीएफ को जिलों से ब्लॉकों/कलस्टरों को उन स्कूलों को भेजना जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है।
3. डीसीएफ में डाटा भरने की प्रक्रिया पर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
4. प्रति वर्ष बीआरसी एवं सीआरसी की मदद से प्रक्रिया के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी लेना।
5. डीपीसी/डीईओ क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से यूडीआईएसई + डाटा संग्रहण अवधि के दौरान 10 प्रतिशत स्कूलों की नमूना जांच करेंगे।

6 क) जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर (प्रयोगकर्त्ता) यूडीआईएसई + साफ्टवेयर (यूआरएल : www.udiseplus.gov.in) को खोलेगा।

ख) होम पेज पर "लॉगइन" को क्लिक करेगा। वेबसाइट में लॉगिंग के लिए राज्य एमआईएस कोआर्डीनेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड को इंटर करेगा।

ग) प्रयोगकर्त्ता को पहले सफल लागइन के बाद सुरक्षित पहुंच हेतु पासवर्ड को बदल लेना चाहिए। तदन्तर, पासवर्ड को आवश्यकतानुसार कई बार बदला जा सकता है।

घ) प्रयोगकर्त्ता सृजित करने से पहले, जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर को वेबसाइट से प्रयोगकर्त्ता मैनुअल डाउनलोड करना चाहिए।

ङ) सभी ब्लॉकों के लिए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड सृजित किया जाएगा।

च) जिला एमआईएस कोआर्डिनेटर जिले में सभी स्कूलों के लिए डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। वह डाटा की सुसंगतता एवं उपयुक्तता के संबंध में जांच करेगा।/करेगी।

छ) जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर प्रत्येक वर्ष में विभिन्न कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु रिपोर्ट की आयोजना एवं तैयार करने हेतु विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होगा।

7. डीपीसी/डीईओ अपने/अपनी जिले में स्कूलों के लिए उपलब्ध कराए गए डाटा हेतु जिम्मेदार होगा।

8. डीपीसी/डीईओ अपने क्षेत्राधिकार में डाटा के 100 प्रतिशत विस्तार एवं यथार्थतता के लिए प्रमाणपत्र देगा। प्रमाणपत्र के बगैर डाटा को अगले स्तर हेतु पेश नहीं किया जा सकता।

9. प्रमाणीकरण के बाद, जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर डाटा को राज्य एमआईएस कोआर्डीनेटर को आनलाईन भेजेगा।

च. राज्य स्तर पर अनुदेश :

समग्र शिक्षा एसपीडी कार्यालय एवं राज्य एमआईएस यूनिट उपरोक्त सभी टीमों को प्रशिक्षित करने एवं मार्गदर्शन के लिए कंट्रोल यूनिटों के रूप में कार्य करेगा। राज्य एमआईएस टीम प्रोसेस के मार्गदर्शन एवं इसे मॉनीटर करने के लिए डाटा नवीनीकरण अनुसूची के दौरान सभी जिलों का दौरा करेगी। टीम निम्नलिखित कार्य पूरा करेगी :

1. जिला एवं ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटरों को उचित प्रशिक्षण देना एवं उन्हें उन्नत बनाना।
2. उनके कार्यकलापों के लिए उचित समय अनुसूची के बारे में सूचित करना।
3. डाटा संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान पदाधिकारियों को मार्गदर्शित करना और मॉनीटर करना।

4 क) राज्य एमआईएस कोआर्डीनेटर (प्रयोगकर्त्ता) यूडीआईएसई + साफ्टवेयर (यूआरएल : www.udiseplues.gov.in) को खोलेगा।

ख) होम पेज पर, "लागइन" को क्लिक करेगा। वेबसाइट में लॉगिंग हेतु एनआईसी/टीएसजी, एमएचआरडी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड को इंटर करेगा।

ग) प्रयोगकर्त्ता को पहले सफल लॉगइन के बाद सुरक्षित पहुंच हेतु पासवर्ड को बदल लेना चाहिए। तदन्तर, पासवर्ड को आवश्यकतानुसार कई बार बदला जा सकता है।

घ) जिला प्रयोगकर्त्ता सृजित करने से पहले राज्य एमआईएस कोआर्डिनेटर को वेबसाइट से प्रयोगकर्त्ता मैनुअल को डाउनलोड करेगा।

ङ) प्रयोगकर्त्ता एवं पासवर्ड को सभी जिलों हेतु सृजित किया जाएगा।

च) राज्य एमआईएस यूनिट सुसंगतता एवं उपयुक्तता के संबंध में जिलों द्वारा प्रस्तुत डाटा की जांच करेगा।

5. राज्य सचिवालय क्षेत्रीय, दौरे के जरिए 5–10 प्रतिशत स्कूलों की नमूना जांच करेगा।

6. एसपीडी राज्य में सभी स्कूलों के लिए उपलब्ध कराए गए डाटा के लिए जिम्मेदार होगा।

7. एसपीडी; राष्ट्रीय स्तर पर भेजने से पहले डाटा के 100 प्रतिशत विस्तार एवं यथार्थतता के संबंध में प्रमाणीकरण देगा। प्रमाणीकरण के बगैर डाटा को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं भेजा जा सकता।

8. प्रमाणीकरण के बाद, राज्य एसआईएस कोआर्डीनेटर डाटा को राष्ट्रीय स्तर पर लॉनलाईन भेजेगा।

दिल्ली एवं पुद्दुचेरी सहित सभी संघशासित राज्यों के लिए डाटा अभिग्रहण फॉर्मेट (डीसीएफ) में भरे जाने हेतु अनुदेश तथा प्रत्येक स्तर पर प्रयोगकर्त्ताओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियां

वर्ष 2018–19 से, स्कूल डाटाबेस के लिए जानकारी एनआईसी, एमएचआरडी द्वारा तैयार किए गए नये साफ्टवेयर (यूडीआईएमई+) में एमएचआरडी द्वारा यह साफ्टवेयर रीयल टाइम एवं ऑनलाईन है।

क. सामान्य अनुदेश :

यूडीआईएसई + साफ्टवेयर ऑनलाईन है

1. दिल्ली और पुद्दुचेरी सहित सभी संघशासित प्रदेशों में प्रत्येक स्कूल में एक कम्प्यूटर है और यह ज्ञातव्य है कि कुछ अपवादों के साथ इंटरनेट स्कूल स्तर पर उपलब्ध है। इसलिए पहले दृष्टान्त में दिल्ली एवं पद्दुचेरी सहित सभी संघशासित प्रदेशों में सभी स्कूल डाटा को सीधे यूडीआईएसई + साफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। स्कूल का यूडीआईएस एमई कोड प्रयोगकर्त्ता नाम है और साफ्टवेयर के लिए पासवर्ड ब्लॉक एसआईएस कोऑर्डीनेटर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

2. कुछ मामलों में, जहां स्कूलों में कोई इंटरनेट सुविधा नहीं है, समस्त डाटा को आफलाईन तरीके से पीसी/लैपटॉप में इंटर किया जाएगा और अपलोडिंग सीआरसी/बीआरसी में की जा सकती है, जहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

3. किसी भी स्तर पर वास्तविक डाटा इंट्री नहीं की जाएगी।

4. जानकारी को स्कूल यूडीआईएसई कोड के अनुसार संघशासित प्रदेशों में सभी स्कूलों के संबंध में तैयार किया जाना चाहिए जिसमें, निजी स्कूल, मदरसा, सहकारी सहायताप्राप्त स्कूल और सभी सरकारी स्कूल जो विभिन्न विभागों/संगठनों के तत्वाधान संचालित होते है, शामिल हैं।

5. स्कूल के रजिस्टरों एवं अन्य सरकारी रिकॉर्डों के आधार पर सही एवं अधिप्रमाणित नवीनतम डाटा को इंटर करना चाहिए।

6. समस्त डाटा का निम्नलिखित द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए :

   I. वरिष्ठ माध्यमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए : प्रधानाचार्य / उप–प्रधानाचार्य

   II. प्रारंभिक स्कूलों के लिए : प्रधान अध्यापक / प्रधान मास्टर

   III. प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए : प्रधान अध्यापक / वरिष्ठतम अध्यापक

   ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों को डीसीएफ में समस्त डाटा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्हें अत्यधिक सावधनी बरतनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि डाटा सही है।

7. इस स्कूल को उस व्यक्ति को पूरे ब्यौरे देने चाहिए जो जानकारी को अपलोड़ कर रहा है। यह व्यक्ति उपरोक्त क्रमांक सं. 6 में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न हो सकता है अथवा, वही हो सकता है। यह व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी हो सकता है अथवा संविदा के आधार पर अथवा किसी एजेंसी आदि से कोई व्यक्ति हो सकता है। यह व्यक्ति कौन है, इस बात पर ध्यान दिए बगैर डीसीएफ में उसके / उसकी पूर्ण ब्यौरों को भरना अनिवार्य है।

ख. साफ्टवेयर में डीसीएफ में डाटा भरने के लिए अनुदेश :

i. स्कूल स्तर :

1. स्कूल का यूडीआईएसई कोड प्रयोगकर्त्ता नाम है। स्कूल, ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर से प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड प्राप्त करेगा।
2. स्कूल यूडीआईएसई + वेबसाइट (यूआरएल : www.udiseplus.gov.in) को खोलेगा।
3. होम पेज पर ''लॉगइन'' को क्लिक करेगा। वेबसाइट में लॉगिंग हेतु ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर द्वारा उपलबध कराए गए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड को इंटर करेगा।
4. प्रयोगकर्त्ता को पहले सफल लागिन के बाद पासवर्ड को सुरक्षित पहुंच हेतु बदलना चाहिए। बाद में, पासवर्ड को आवश्यकतानुसार कई बार बदला जा सकता है।
5. डाटा को भरने से पहले, स्कूल को वेबसाइट से प्रयोगकर्त्ता मैनुअल को डाउनलोड कराना चाहिए।
6. डीसीएफ को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना और ऑनलाईन डाटा इंटर करने से पहले डाटा को तैयार करना व्यवहार्य होगा।
7. उपरोक्त क6 में अधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध जानकारी को मॉनीटर करना चाहिए, देखरेख करनी चाहिए और अधिप्रमाणिकता की जांच करनी चाहिए।
8. सत्यापित एवं अंतिम रूप से तैयार डीसीएफ को ऑनलाईन भेजा जाएगा।

ii. कलस्टर स्तर :

1. पोर्टल में अपलोड की गई जानकारी की यथार्थतता को मॉनीटर करना, पर्यवेक्षित करना तथा क्रॉस जांच करना।
2. डीसीएफ को ब्लॉक एनआईएस कोआर्डीनेटर को पेश करने से पहले डाटा की 100 प्रतिशत जांच करना।
3. अपने/अपनी क्षेत्राधिकार में सभी स्कूलों के संबंध में पेश किए गए डाटा की परिपूर्णता एवं परिशुद्धता के संबंध में प्रमाणपत्र देना।

ब्लॉक/तालुक स्तर पर अनुदेश :

बीआरसी/बीईओ क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं, जो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूलों से यूडीआईएसई + डाटा को एकत्र करने की एकमात्र जिम्मेदारी लेते हैं। जहां कोई ब्लॉक/तालुक नहीं हो, वहां डीपीसी/डीईओ सीआरसी अथवा किसी अन्य अधिकारी को उसके/उसकी क्षेत्राधिकार में यूडीआई एसई + साफ्टवेयर में सभी स्कूलों के डाटा को इंटर करने के जिम्मेदारी सौपेगा। बीआरसी/बीईओ/ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर अपने निर्धारित ब्लॉकों/तालुकों में निम्नलिखित कार्य पूरा करेंगे और संबंधित ब्लॉकों/तालुकों में कार्य पूरा नहीं होने के संबंध में जिम्मेदार होंगे।

1. डीसीएफ में डाटा भरने की प्रक्रिया के संबंध में सीआरसी को प्रशिक्षित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे।
2. सीआरसी एवं स्कूलों का लॉग रजिस्टर रखेगा और उसे सौंपे गए ब्लॉकों में सभी स्कूलों से नवीनतम डीसीएफ के नवीकरण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करेगा।
3. क) ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर (प्रयोगकर्त्ता) यूडीआईएसई+ साफ्टवेयर (यूआरएल : udiseplus.gov.in) को खोलेगा।

   ख) होम पेज पर "लॉगइन" को क्लिक करेगा। वेबसाइट को लॉगइन करने के लिए जिला एमआईएस कोआडीनेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड को इंटर करेगा।

   ग) प्रयोगकर्त्ता को पहले सफल लॉगइन के बाद सुरक्षित पहुंच हेतु पासवर्ड को बदल लेना चाहिए। बाद में आवश्यकतानुसार पासवर्ड को कई बार बदला जा सकता है।

   घ) वेबसाइट से प्रयोगकर्त्ता मैनुअल को डाउनलोड करें।

   ङ) स्कूलों द्वारा डाटा इंट्री की प्रगति को मॉनीटर करना।
4. यूडीआईएसई + डीसीएफ में अध्यापक सारणी के सभी पैरामीटरों की बीआरसी द्वारा सरकारी एवं सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों के संबंध में पूरी तरह जांच की जानी चाहिए।
5. क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से जानकारी की अधिप्रमाणिकता की क्रॉस जांच करना। कम से कम 30 प्रतिशत स्कूलों की नमूना आधार पर जांच की जानी चाहिए।
6. कार्य के प्रगति की जिला परियोजना कार्यालय (एमआईएस यूनिट) को समय पर सूचना देना।

7. बीआरसी/बीईओ अपने/अपनी क्षेत्राधिकार में स्कूलों के लिए उपलब्ध कराए गए डाटा के संबंध में जिम्मेदार होंगे।

8. बीआरसी/बीईओ अपने क्षेत्राधिकार में डाटा के 100 प्रतिशत विस्तार एवं यथार्थतता के संबंध में प्रमाणीकरण देगा। प्रमाणीकरण के बगैर डाटा को अगले स्तर पर पेश नहीं किया जा सकता।

9. प्रमाणीकरण के बाद ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटर आनलाईन जिला एमआईएस कोआडीनेटर को डाटा भेजेगा।

ग. जिला स्तर पर अनुदेश :

जिला कलेक्टर (डीसी) को यूडीआईएसई+ की सफलता के लिए टीमों का गठन करने में व्यक्तिगत रूचि लेनी चाहिए। जैसा कि डीसी जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। यह व्यवहार्य है कि सभी संबंधित अधिकारियों के लिए एक जॉब चार्ट तैयार किया जाना चाहिए और डीसी के हस्ताक्षर से जारी करना चाहिए।

जिला परियोजना कोआर्डीनेटर (डीपीसी)/जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सभी स्कूलों के संबंध में अपने जिलों में यूडीआईएसई + के क्रियान्वयन की समग्र प्रक्रिया को मॉनीटर करेंगे और अपने जिले में सम्पूर्ण प्रक्रिया का समय पर समापन को सुनिश्चित करेंगे। डीपीसी/डीईओ/जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर निम्नलिखित कार्य पूरा करेंगे :

1. सुनिश्चित करेगा कि कोई भी स्कूल यूडीआईएसई + मास्टर लिस्ट से छूटा नहीं है और स्कूलों के प्रबंधन एवं श्रेणी कोडों की पुष्टि की जाती है तथा जिला स्तर पर यूडीआईएसई + साफ्टवेयर में शामिल किया जाता है।

2. डीसीएफ में ऑन लाईन डाटा भरने की प्रक्रिया पर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

3. प्रतिवर्ष बीआरसी एवं सीआरसी की मदद से प्रक्रिया के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी लेना।

4. डीपीसी/डीईओ क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से यूडीआईएसई + डाटा संग्रहण अवधि के दौरान 10 प्रतिशत स्कूलों की नमूना जांच करेंगे।

5 क) जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर (प्रयोगकर्त्ता) यूडीआईएसई + साफ्टवेयर (यूआरएल : www.udiseplus.gov.in) को खोलेगा।

ख) होम पेज पर "लॉगइन" को क्लिक करेगा। वेबसाइट में लॉगिंग के लिए राज्य एमआईएस कोआर्डीनेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड को इंटर करेगा।

ग) प्रयोगकर्त्ता को पहले सफल लागइन के बाद सुरक्षित पहुंच हेतु पासवर्ड को बदल लेना चाहिए, तदन्तर पासवर्ड को आवश्यकतानुसार कई बार बदला जा सकता है।

घ) प्रयोगकर्त्ता सृजित करने से पहले, जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर को वेबसाइट से प्रयोगकर्त्ता मैनुअल डाउनलोड करना चाहिए।

ङ) सभी ब्लॉकों / तालुकों के लिए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड सृजित किया जाएगा।

च) जिला एमआईएस कोआर्डिनेटर जिले में सभी स्कूलों के लिए डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। वह डाटा की सुसंगतता एवं उपयुक्तता के संबंध में जांच करेगा / करेगी।

छ) जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर प्रत्येक वर्ष में विभिन्न कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु रिपोर्ट की आयोजना एवं तैयार करने हेतु विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6. डीपीसी / डीईओ अपने / अपनी जिले में स्कूलों के लिए उपलब्ध कराए गए डाटा हेतु जिम्मेदार होगा।

7. डीपीसी / डीईओ अपने क्षेत्राधिकार में डाटा के 100 प्रतिशत विस्तार एवं यथार्थतता के लिए प्रमाणपत्र देगा। प्रमाणपत्र के बगैर डाटा को अगले स्तर हेतु पेश नहीं किया जा सकता।

8. प्रमाणीकरण के बाद, जिला एमआईएस कोआर्डीनेटर डाटा को राज्य एमआईएस कोआर्डीनेटर को आनलाईन भेजेगा।

घ. यूटी स्तर पर अनुदेश :

समग्र शिक्षा एसपीडी कार्यालय एवं यूटी एमआईएस यूनिट उपरोक्त सभी टीमों को प्रशिक्षित करने एवं मार्गदर्शन के लिए कंट्रोल यूनिटों के रूप में कार्य करेगा। यूटी एमआईएस टीम प्रोसेस के मार्गदर्शन एवं इसे मॉनीटर करने के लिए डाटा नवीनीकरण अनुसूची के दौरान सभी जिलों का दौरा करेगी। टीम निम्नलिखित कार्य पूरा करेगी :

1. जिला एवं ब्लॉक एमआईएस कोआर्डीनेटरों को उचित प्रशिक्षण देना एवं उन्हें उन्नत बनाना।

2. उनके कार्यकलापों के लिए उचित समय अनुसूची के बारे में सूचित करना।

3. ऑनलाईन डाटा की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान पदाधिकारियों को मार्गदर्शित करना और मॉनीटर करना।

4 क) यूटी एमआईएस कोआर्डीनेटर (प्रयोगकर्त्ता) यूडीआईएसई+ साफ्टवेयर (यूआरएलः www.udiseplues.gov.in) को खोलेगा।

ख) होम पेज पर, "लागइन" को क्लिक करेगा। वेबसाइट में लॉगिंग हेतु एनआईसी / टीएसजी, एमएचआरडी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड को इंटर करेगा ।

ग) प्रयोगकर्त्ता को पहले सफल लॉगइन के बाद सुरक्षित पहुंच हेतु पासवर्ड को बदल लेना चाहिए। तदन्तर, पासवर्ड को आवश्यकतानुसार कई बार बदला जा सकता है।

घ) जिला प्रयोगकर्त्ता सृजित करने से पहले, यूटी एमआईएस कोआर्डिनेटर को वेबसाइट से प्रयोगकर्त्ता मैनुअल को डाउनलोड करेगा।

ङ) प्रयोगकर्त्ता नाम एवं पासवर्ड को सभी जिलों हेतु सृजित किया जाएगा।

च) यूटी एमआईएस यूनिट सुसंगतता एवं उपयुक्तता के संबंध में जिलों द्वारा प्रस्तुत डाटा की जांच करेगा।

5. यूटी सचिवालय क्षेत्रीय दौरे के जरिए 5–10 प्रतिशत स्कूलों की नमूना जांच करेगा।

6. एसपीडी, यूटी में सभी स्कूलों के लिए उपलब्ध कराए गए डाटा के लिए जिम्मेदार होगा।

7. एसपीडी; राष्ट्रीय स्तर पर भेजने से पहले डाटा के 100 प्रतिशत विस्तार एवं यथार्थतता के संबंध में प्रमाणीकरण देगा। प्रमाणीकरण के बगैर डाटा को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं भेजा जा सकता।

8. प्रमाणीकरण के बाद, यूटी एसआईएस कोआर्डीनेटर डाटा को राष्ट्रीय स्तर पर लॉनलाईन भेजेगा।

यूडीआईएसई+: अपने स्वयं का डाटा इंट्री शॉफ्टवेयर का प्रयोग करने वाले राज्यों के लिए अनुदेश

1. वर्ष 2018–2019 से, स्कूल डाटाबेस हेतु जानकारी को एनआईसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए, नये साफ्टवेयर (यूडीआईएसई +) के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एकत्र किया जाएगा। यह साफ्टवेयर ऑनलाईन है और यथा समय रीयल टाइम होगा। नये साफ्टवेयर की निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताएं हैं :

   क) स्कूल श्रेणी–वार डीसीएफ; जो पहले से भरे हेते हैं; ताकि स्कूल को डाटा प्रविष्टि एवं प्रयोग में सुविधा हो। इसके अलावा, डीसीएफ का समग्र शिक्षा कार्यक्रमों, पीजीआई संकेतकों एवं स्कूल सुरक्षा से संबंधि संकेतकों आदि को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है।

   ख) जटिल डाटा को सामान्य तरीके में स्तर के साथ–साथ प्रश्न आधारित रिपोर्टों एवं तुलनात्मक चार्टों के साथ स्पष्ट रूप से देखने एवं प्रस्तुत करने के लिए डैशबोर्ड।

   ग) जीआईएस मैपिंग हेतु लिंक; जिसमें अक्षांश एवं देशान्तर रेखा के साथ स्कूल की सही भौगोलिक स्थिति; स्कूल की श्रेणी, स्कूल प्रबंधन, अवसंरचना स्थिति आदि जैसे स्कूल की विभिन्न विशेषताएं होंगी।

   घ) डाटा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष का सत्यापन। इस कार्य के लिए मोबाइल एप्प भी तैयार किया जाएगा।

2. राज्य जो अपने स्वयं का साफ्टवेयर प्रयोग करते हुए डाटा एकत्र कर रहा है और ऐसा निरन्तर करना चाहता है, को निम्नलिखित किसी एक डिजिटल तरीके में डाटा को साझा करने की अनुमति होगी :

   i. वेब सर्विस के जरिए

   ii. डाटाबेस बैकअप (सीएसवी अथवा पोस्ग्रे एसओएल डाटाबेस डम्प) के जरिए।

तथापि, उपरोक्त पैरा में उल्लिखित साफ्टवेयर की विशेषताएं अनुप्रयोज्य होंगी। यूडीआईएसई + साफ्टवेयर का रीयल टाइम बनने पर ऐसे राजयों से संबंधित डाटा को भी निर्धारित अवधि में अद्यतन बनाने की जरूरत होगी।

3. डाटा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए, यूडीआईएसई + साफ्टवेयर के जरिए डाटा सत्यापन संबंधी प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा। यह संशोधित डीसीएफ के तहत अपेक्षित अतिरिक्त क्षेत्रों के साथ राज्य के मौजूदा साफ्टवेयर में अन्तः निर्मित हो सकता है।

4. विभिन्न स्तरों पर डाटा के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने वाले व्यक्ति निम्नानुसार निर्धारित हैं :

   i वरिष्ट माध्यमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए : प्रधानाचार्य / उप–प्रधानाचार्य

   ii. प्रारंभिक स्कूलों के लिए : प्रधान अध्यापक / प्रधान मास्टर

   iii. प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए : प्रधान अध्यापक / वरिष्ठतम अध्यापक।

ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों को डीसीएफ में समस्त डाटा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि डाटा सही है।

यदि, विद्यालय सीधे ऑनलाईन डीसीएफ भर रहा हो, तब इसे उस व्यक्ति के पूर्ण विवरण देने होंगे जो जानकारी को अपलोड कर रहा है। इसे डीसीएफ में उसके / उसकी पूर्ण ब्यौरों को भरना अनिवार्य है।

ख) कलस्टर स्तर :

सीआरसी के नहीं होने पर नोडल स्कूल का सीआरसी / एचएम (स्कूल को नोडल स्कूल के रूप में नामित करने हेतु ब्लॉक, जहां सीआरसी नहीं हो) अपने कलस्टर में अपने संबंधि स्कूलों के लिए डाटा की अधिप्रमाणिकता के लिए जिम्मेदार होगा। वह ब्लॉक एमआईएस समन्वयक को डीसीएफ को सौंपने / जमा करने से पहले डाटा की 100 प्रतिशत जांच करेगा / करेगी। वह अपने / अपनी क्षेत्राधिकार में सभी स्कूलों से एकत्र किए गए / जमा किए गए डाटा की परिपूर्णता एवं परिशुद्धता संबंध में एक प्रमाणपत्र देगा / देगी।

ग) ब्लॉक स्तर :

बीआरसी / बीईओ अपने क्षेत्राधिकार में स्कूलों के लिए उपलब्ध कराए गए डाटा के लिए जिम्मेदार होगी। बीआरसी / बीईओ अपने क्षेत्राधिकार में डाटा के 100 प्रतिशत विस्तार एवं यथार्थतता के संबंध में प्रमाणीकरण देगा।

बीआरसी / बीईओ उन ब्लॉकों में स्कूलों का रिकॉर्ड रखेगा जो राज्य साफ्टवेयर के जरिए ऑनलाईन डाटा उपलब्ध करवा रहे हैं।

घ) जिला स्तर :

जिला प्रोजेक्ट समन्वयक (डीपीसी) / जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) अपने / अपनी जिले में सभी स्कूलों के लिए उपलब्ध डाटा के संबंध में जिम्मेदार होंगे। डीपीसी / डीईओ क्षेत्रीय दौरा करके डाटा संग्रहण अवधि में 10 प्रतिशत स्कूलों की नमूना जांच करेंगे। डीपीसी / डीईओ अपने क्षेत्राधिकार में डाटा की 100 प्रतिशत विस्तार एवं यथार्थकता के संबंध में प्रमाणीकरण देंगे।

डीपीसी / डीईओ जिले में उन स्कूलों का रिकॉर्ड रखेंगे जो राज्य साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध करवा रहे हैं।

ङ) राज्य स्तर :

राज्य सचिवालय क्षेत्रीय दौरा करके 5–10 प्रतिशत स्कूलों की नमूना जांच करेंगे।

समग्र शिक्षा एसपीडी अपने / अपनी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में स्कूलों के लिए उपलब्ध डाटा के संबंध में जिम्मेदार होंगे। एसपीडी डाटा के 100 प्रतिशत विस्तार एवं यथार्थतता के लिए प्रमाणीकरण प्रदान करेगा।

5. उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित किसी विधि के जरिए साझा किए गए डाटा को तभी स्वीकार किया जाएगा, यदि वे एसपीडी के प्रमाणपत्र के साथ होंगे। एसपीडी सभी अन्य 4 स्तरों पर नामतः विद्यालय, कलस्टर, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर जारी प्रमाणपत्रों की उपलब्धता की भी पुष्टि करेगा। एसपीडी डाटा के साथ उन स्कूलों की जिला–वार संख्या भी उपलब्ध कराएगा, जिन्होंने ऑनलाईन डाटा उपलब्ध कराया है।

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | | |

शिक्षा संबंधी एकीकृत जिला सूचना प्रणाली जमा

(यूडआईएसई +)

हेतु

डाटा अधिग्रहण प्रपत्र

(ग्रेड I-XII के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार

अनुभाग	**जानकारी**
अनुभाग 1	स्कूल विवरण (स्थान, संरचना, प्रबंधन एवं अनुदेश माध्यम)
अनुभाग 2	भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण
अनुभाग 3	शिक्षण एवं गैर–शिक्षण कर्मचारी
अनुभाग 4	नये दाखिले, नामांकन एवं रीपीटर
अनुभाग 5	बच्चों को उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं
अनुभाग 6	वार्षिक परीक्षा परिणाम
अनुभाग 7	बोर्ड परीक्षा परिणाम
अनुभाग 8	आय एवं व्यय
अनुभाग 9	संस्थानिक स्तर पर एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक शिक्षा
अनुभाग 10	पीजीआई संकेतक
अनुभाग 11	स्कूल सुरक्षा

टिप्पणी : इसमें 1 मास्टर डीसीएफ (ग्रेड I-XII के स्कूलों के लिए) है। प्रत्येक श्रेणी के स्कूल के लिए 18 पाठ तैयार किए गए हैं। केवल आपकी स्कूल की श्रेणी से संबंधित प्रश्न ही आपको दिखाई देंगे।

जो प्रश्न आपके स्कूल श्रेणी से संबंधित नहीं हैं, वे हटा दिए गए हैं। अतः, प्रश्न संख्या क्रमानुक्रम में नहीं होगी।

आपकी डीसीएफ की श्रेणी के लिए सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं और इन्हें खाली नहीं छोड़ना चाहिए।

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19 यूडीआईएसई कोड

डाटा अभिग्रहण प्रपत्र

शिक्षा संबंधी एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसडीई +)

संदर्भ तारीख : 30 सितम्बर, 2018

यूडीआईएसई कोड	राज्य कोड	जिला कोड	ब्लॉक कोड	गांव/वार्ड कोड	स्कूल कोड

भौगोलिक स्थानः	डेग	मि	से.	देशान्तर	डेग	मि	से.	देशान्तर

खण्ड 1 : स्कूल विवरण (स्थान, संरचना, प्रबंधन और निर्देश माध्यम)

1.1. स्कूल का नाम (बड़े अक्षरों में) :

1.2 क्या स्कूल ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में स्थित है :

1.3 गांव का नाम (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)/वार्ड नम्बर (शहरी क्षेत्र हेतु) :

1.4 आवास का नाम (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)/मोहल्ला अथवा योजना हेतु सदृश शहरी यूनिट (शहरी क्षेत्र) :

1.5 पिन कोड :

1.6 ग्राम पंचायत का नाम (केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए)

1.7 कलस्टर संसाधन सेंटर (सीआरसी) का नाम :

1.8 सामुदायिक विकास (सीडी)/ब्लॉक/मण्डल/तालुका का नाम :

1.9 शैक्षणिक ब्लॉक/मण्डल/तालुका का नाम :

1.10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम :

1.11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम :

1.12 नगरपालिका (जहां लागू हो) का नाम :

1.13 शहर का नाम (जहां लागू हो) :

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19 यूडीआईएसई कोड

1.14 सम्पर्क ब्यौरे :

(क) विद्यालय प्रमुख :

एसटीडी कोड	लैण्डलाईन नम्बर	मोबाइल नम्बर

(ख) प्रतिवादी ' का नाम (बड़े अक्षरों में) :

(ग) प्रतिवादी का सम्पर्क नं :

(घ) विद्यालय का ईमेल :

(ड.) विद्यालय की वेबसाइट :

'प्रतिवादी = वास्तव में इस फॉर्म को भरने वाला व्यक्ति।

1.15 विद्यालय की श्रेणी (कोड) :

श्रेणी के ब्यौरे	कोड	श्रेणी के ब्यौरे	कोड
केवल 1 से 5 ग्रेड के प्राथमिक स्कूल	1	ग्रेड 1 से 10 के माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	6
ग्रेड 1 से 8 के उच्च प्राथमिक स्कूल	2	ग्रेड 6 से 10 के माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	7
ग्रेड 1 से 12 के उच्चतर माध्यमिक स्कूल	3	केवल ग्रेड 9 एवं 10 के माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	8
केवल ग्रेड 6 से 8 के उच्च प्राथमिक स्कूल	4	ग्रेड 9 से 12 के उच्चतर माध्यमिक स्कूल	10
ग्रेड 6 से 12 के उच्चतर माध्यमिक स्कूल	5	केवल ग्रेड 11 एवं 12 के उच्च माध्यमिक / जूनियर कॉलेज	11

1.16 विद्यालय में न्यूनतम एवं उच्चतम कक्षाएं (पूर्व प्राथमिक हेतु 0 लिखें) :

(क) स्कूल में न्यूनतम कक्षा : (ख) स्कूल में उच्चतम कक्षा :

1.17 स्कूल का प्रकार (बालक=1, बालिकाएं =2, सह–शिक्षा = 3)

1.18 कक्षा में अनुभाग संख्या (यदि एक ही कक्षा है, जिसमें कोई भाग नहीं है, तो 1 लिखें)

कक्षा	अनुभागों की संख्या	कक्षा	अनुभागों की संख्या
प्री प्राईमरी		VII	
I		VIII	
II		IX	
III		X	
IV		XI	
V		XII	
VI			

1.19 स्कूल का प्रबंधन (कोड) :

प्रबंधन के ब्यौरे	कोड	प्रबंधन के ब्यौरे	कोड
शिक्षा विभाग	1	श्रम मंत्रालय	91
जनजातीय कल्याण विभाग	2	केन्द्रीय विद्यालय / सेंट्रल स्कूल	92
स्थानीय निकाय	3	जवाहर नवोदय विद्यालय	93
सरकारी सहायता प्राप्त	4	सैनिक स्कूल	94
निजी असहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त)	5	रेलवे स्कूल	95
अन्य सरकारी प्रबंधकित स्कूल	6	सेंटल तिब्बतिन स्कूल	96
अमान्यता प्राप्त	8	मदरसा मान्यताप्राप्त (वक्कफ बोर्ड / मदरसा बोर्ड द्वारा)	97
सामाजिक कल्याण विभाग	90	मदरसा अमान्यता प्राप्त	98

1.20 स्कूल का स्थापना वर्ष :

1.21 स्कूल को मान्यता प्रदान करने का वर्ष (केवल सरकारी सहायताप्राप्त एवं निजी असहायता प्राप्त स्कूलों हेतु) :

(क) प्राथमिक (ख उच्च प्राथमिक

(ग) माध्यमिक (घ) उच्चतर माध्यमिक

1.22 स्कूल को अपग्रेड करने का वर्ष (यदि लागू हो) :

(क) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक :

(ख) उच्च प्राथमिक से माध्यमिक :

(ग) माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक :

1.23 क्या यह सीडब्ल्यूएसएन के लिए एक विशेष स्कूल है? : हां = 1, नहीं = 2)

1.24 क्या यह एक पाली वाला स्कूल है? : (हां = 1, नहीं = 2)

1.25 क्या यह एक आवासीय स्कूल है? : (हां = 1, नहीं = 2)

(क) यदि हां, तो आवासीय स्कूल का प्रकार :

(आश्रम (सरकारी) = 1, गैर–आश्रम (सरकारी) = 2, निजी = 3, अन्य = 4, केजीबीवी = 6, मॉडल स्कूल = 7 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल = 8)।

(ख) क्या निम्नलिखित श्रेणी / स्तर हेतु बोर्डिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं :

			बालिकाओं की संख्या	बालकों की संख्या
(i) प्राथमिक :		(हां=1, नहीं=2)		
(ii) उच्च प्राथमिक :		(हां=1, नहीं=2)		
(iii) माध्यमिक :		(हां=1, नहीं=2)		
(iv) उच्चतर माध्यमिक :		(हां=1, नहीं=2)		

1.26 क्या यह एक अल्पसंख्यक व्यवस्थित स्कूल है? (हां =1, नहीं=2)

(क) यदि हां, तो स्कूल को चलाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का प्रकार लिखें:

(मुस्लिम = 1, सिक्ख=2, जैन=3, ईसाई=4, पारसी=5, बुद्धिस्ट=6, कोई अन्य=7, भाषाई अल्पसंख्यक=8)

1.27 क्या प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाए गए शिक्षकों की संख्या अधिक है?

(हां=1, नहीं=2)

1.28 स्कूल में निर्देश (शों) का माध्यम :*

(i) (ii) (iii) (iv)

*असमी = 01, बंगाली = 02, गुजराती = 03, हिन्दी = 04, कन्नड़ = 05, कश्मीरी = 06, कोंकण्डी = 07, मलयालम = 08, मणिपुरी = 09, मराठी = 10, नेपाली = 11, ओडिया = 12, पंजाबी = 13, संस्कृत = 14, सिंधी =15, तमिल = 16, तेलगु = 17, उर्दू = 18, अंग्रेजी = 19, बोडो = 20, डोगरी = 22, खासी = 23, गारो = 24, मिजो = 25, भूटिया = 26, लेप्चा = 29, लिम्बू = 28, संथाली = 39, मैथिली = 51, फ्रेंच = 29, अन्य भाषाएं = 99

यदि अन्य भाषा हो, कृपया उल्लेख करें :

1.29 एक विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा (एं) (नीचे तीन भाषा तक उल्लेख करें)*

(i) (ii) (iii)

*असमी = 01, बंगाली = 02, गुजराती = 03, हिन्दी = 04, कन्नड़ = 05, कश्मीरी = 06, कोंकण्डी = 07, मलयालम = 08, मणिपुरी = 09, मराठी = 10, नेपाली = 11, ओडिया = 12, पंजाबी = 13, संस्कृत = 14, सिंधी =15, तमिल = 16, तेलगु = 17, उर्दू = 18, अंग्रेजी = 19, बोडो = 20, डोगरी = 22, खासी = 23, गारो = 24, मिजो = 25, भूटिया = 26, लेप्चा = 29, लिम्बू = 28, संथाली = 39, मैथिली = 51, फ्रेंच = 29, अंगायी = 41, एओ = 42, अरबी = 43, भोटी = 44, बोधी = 45, जर्मन = 46, काकबराक = 47, कोंयाक = 48, लद्दाखी = 49, लोथा = 50, मैथिली= 51, निकोबारी = 52, ओडिया (नीचले) = 53, परसिन = 54, पुर्तगाली = 55, राजस्थानी = 56, रसिया = 57, सेमा = 58, स्पेनिश = 59, तिब्बतिन = 60, जेलिंग = 61, अन्य भाषाएं = 99 ।

1.30 क्या विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है? (हां=1, नहीं=2)

1.31 क्या स्कूल विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन/परामर्श प्रदान करता है? :

(हां=1, नहीं=2)

1.32 संबद्ध स्कूली बोर्ड : (सीबीएसई = 1, राज्य बोर्ड = 2, आईसीएसई = 3, अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड = 4, अन्य = 5, सीबीएसई एवं राज्य बोर्ड, दोनों =6)

(क) माध्यमिक अनुभागों हेतुः संबद्ध नम्बर

यदि अन्य हो, तो बोर्ड का नामः

(ख) उच्चतर माध्यमिक अनुभागों हेतुः संबद्ध नम्बर

यदि अन्य हो, तो बोर्ड का नामः

1.33 नजदीकी सरकारी / सहायतित स्कूल से स्कूल की दूरी : (उदाहरणार्थ : 2.6)

(क) प्राथमिक स्कूल / खण्ड से :

(ख) उच्च प्राथमिक स्कूल / खण्ड से :

(ग) माध्यमिक स्कूल / खण्ड से :

(घ) उच्चतर माध्यमिक स्कूल / जूनियर कालेज से :

''दूरी'' को ''स्कूल के मार्ग पर सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित अवरोधों के संबंध में छोड़ने के बाद पैदल मार्गदूरी ''के रूप में निर्धारित किया जाता है; जैसे कि राजमार्ग, ट्रेन लाईन, आदि।

1.34 क्या स्कूल हर मौसम में सड़क से पहुंचयोग्य है? (हां=1, नहीं=2)

1.35 क्या पूर्व प्राथमिक अनुभाग (आंगनबाड़ी से भिन्न) स्कूल से संबद्ध है? (हां=1, नहीं=2)

(क) यदि हां, तो पूर्व प्राथमिक अनुभाग में कुल विद्यार्थी :

	एलकेजी	यूकेजी
बालक		
बालिकाएं		

1.36 क्या आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूल परिसर के भीतर स्थित है? (हां=1, नहीं=2)

(सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए)

यदि हां,

(क) आंगनबाड़ी केन्द्र का कोड :

(ख) आंगनबाड़ी केन्द्र में कुल बच्चों :

बालक		बालिकाएं	

(ग) क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता शुरूआती बाल्यावस्था शिक्षा में प्रशिक्षित हैं? (हां=1, नहीं=2)

1.37 अनुदेशात्मक दिनों की संख्या (पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष) :

(क) पूर्व–प्राथमिक :

(ख) प्राथमिक :

(ग) उच्च प्राथमिक :

(घ) माध्यमिक :

(ङ) उच्चतर माध्यमिक

1.38 बच्चों के लिए औसत स्कूल का समय (प्रतिदिन) – स्कूल में बच्चों के ठहरने की घंटा संख्या अर्थात पांच घंटा और चालीस मिनट के लिए 5.40 लिखें :

(क) पूर्व प्राथमिक :

(ख) प्राथमिक :

(ग) उच्च प्राथमिक :

(घ) माध्यमिक :

(ङ) उच्चतर माध्यमिक

1.39 अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय (प्रतिदिन) – स्कूल में अध्यापक के ठहरने का घंटा संख्या अर्थात पांच घंटे और चालीस मिनट के लिए 5.40 लिखें :

(क) पूर्व प्राथमिक :

(ख) प्राथमिक :

(ग) उच्च प्राथमिक :

(घ) माध्यमिक :

(ङ) उच्चतर माध्यमिक :

1.40 क्या स्कूल में सीसीई लागू की जा रही है? (हां=1, नहीं=2)

(क) प्राथमिक (ख) उच्च प्राथमिक (ग) माध्यमिक (घ) उच्चतर माध्यमिक

यदि हां, तो

(क) क्या छात्र का सामूहिक रिकॉर्ड रखा जा रहा है? (हां=1, नहीं=2)

(ख) क्या शिशुओं के सामूहिक रिकॉर्ड को उनके माता–पिता के साथ साझा किया जाता है? (हा=1, नहीं=2)

1.41 निजी असहायता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए :

(क) चालू शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रवेश स्तर पर नामांकित बच्चों की संख्या :

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष में आरटीई अधिनियम की धारा 12 के तहत निरन्तर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या :

1.42 अगर आरटीई अधिनियम की धारा 12 के तहत नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या :

	पूर्व प्राथमिक		कक्षा I		कक्षा II		कक्षा III		कक्षा IV		कक्षा V		कक्षा VI		कक्षा VII		कक्षा VIII	
	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी
I. धारा 12 (1) (ग) के तहत निजी असहायता प्राप्त एवं विशिष्ट श्रेणी प्राप्त स्कूलों में																		
II. उन स्कूलों में, जिन्होंने किफायती दर पर भूमि, भवन, उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त की हैं।																		

(ख) नामांकित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों की संख्या :

	कक्षा IX		कक्षा X		कक्षा XI		कक्षा XII	
	बी	जी	बी	जी	बी	जी	बी	जी
I. उन स्कूलों में, जिन्होंने किफायती दर पर भूमि, भवन उपकरण एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त की हैं								

*: जैसा कि आरटीई अधिनियम की धारा 2–(ड.) में निर्धारित है, अर्थात ऐसे माता–पिता एवं अभिभावक से संबंधित बच्चे, जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम हो।

प्रश्न सं. 1.43 से 1.51 (केवल सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए)

1.43 क्या स्कूल में नामांकित स्कूली बच्चों में से कोई बच्चा विशेष प्रशिक्षण ले रहा है? :

(हां=1, नहीं=2)

यदि हां, विशेष प्रशिक्षण के ब्यौरे दें:

	बालक	बालिकाएं
(क) चालू वर्ष में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित बच्चों की संख्या:		
(ख) पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित बच्चों की सं.:		
(ग) पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण पूरा किए गए बच्चों की सं.:		

(घ) विशेष प्रशिक्षण कौन चलाता है ? :

(स्कूल अध्यापक=1, विशेष रूप से नियुक्त अध्यापक=2, 1 एवं 2, दोनों=3, एनजीओ=4, अन्य=5)

(ड.) विशेष प्रशिक्षण कहां चलाया जाता है? :

(स्कूल परिसर में=1, स्कूल परिसर से भिन्न=2, 1 एवं 2, दोनों में=3)

(च) चलाए जा रहे प्रशिक्षण का प्रकार ?

(आवासीय=1, गैर–आवासीय=2, दोनों=3)

1.44 चालू वर्ष में उपचारी शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों की संख्या :

1.45 शैक्षणिक सत्र कब से शुरू होता है? माह का उल्लेख करें :

(अर्थात जनवरी के लिए '01' लिखा जाना चाहिए)

1.46 क्या चालू शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है? (हां = 1, नहीं = 2)

यदि हां, चालू शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यपुस्तकें कब प्राप्त हुई थीं? (माह)

1.47 क्या स्कूल को पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में वर्गीकृत अनुपूरक सामग्री प्राप्त हुई है?

(हां=1, नहीं=2)

1.48 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, पठन–पाठन सामग्री (टीएलएम) और खेल सामग्री (चालू शैक्षणिक वर्ष में) की उपलब्धता

	पूर्व प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
क्या निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का पूर्ण सेट प्राप्त हुआ? (हां=1, नहीं=2, लागू नहीं=3)					
क्या प्रत्येक वर्ग के लिए टीएलएम उपलब्ध है (हां=1, नहीं=2)					
क्या प्रत्येक वर्ग के लिए खेल सामग्री, गेम तथा खेल उपकरण उपलब्ध है।					

1.49 पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल का दौरा करने के ब्यौरे :

(क) शैक्षणिक निरीक्षणों की संख्या :

(ख) सीआरसी समन्वयक के दौरों की सं. :

(ग) ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा दौरों की संख्या (बीआरसी / बीईओ) :

(घ) जिला / राज्य स्तरीय अधिकारियों के दौरों की संख्या :

1.50 क्या स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन किया गया है? (हां=1, नहीं=2)

यदि हां,

	पुरुष		महिला	
(क) एसएमसी में सदस्यों की कुल संख्या :				
(ख) माता–पिता / अविभावकों की संख्या :				

उपरोक्त (ख) में संख्या में से निम्न से संबंधित माता–पिता की संख्या बताएं :

i) अनुसूचित जाति ii) अनुसूचित जनजाति iii) ईडब्ल्यूएस iv) अल्पसंख्यक

	पुरुष		महिला	
(ग) स्थानीय प्राधिकरण / स्थानीय सरकार / शहरी स्थानीय निकाय से प्रतिनिधियों / नामितियों की संख्या :				
(घ) अध्यापकों की संख्या:				
(ङ) प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों की संख्या:				

(च) पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के दौरान एसएमसी द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या:

(छ) क्या एसएमसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? (हां=1, नहीं=2)

(ज) क्या एसएमसी के लिए अलग बैंक खाता प्रयोग किया जा रहा है? (हां=1, नहीं=2)

यदि हां, तो

बैंक का नाम :

शाखा :

खाता संख्या :

खाताधारक का नाम :

आईएफएससी कोड :

1.51 क्या स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और स्कूल प्रबंधन और विकास समिति (एसएमडीसी) स्कूल में एक ही हैं? (हां=1, नहीं=2)

यदि नहीं, तो

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19 यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | | |

(क) क्या स्कूल प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन किया गया है ? :

[ ] (हां=1, नहीं=2)

यदि हां, तो

क्र.सं.	सदस्य / प्रतिनिधियों के ब्यौरे	बालक		बालिकाएं	
	कुल सदस्य				
(i)	माता–पिता / अविभावक / पीटीए के प्रतिनिधियों की संख्या				
(ii)	ईडब्ल्यूएस बच्चों के माता–पिता के प्रतिनिधियों की संख्या				
(iii)	स्थानीय सरकार / शहरी स्थानीय निकाय से प्रतिनिधियों / नामितियों की संख्या				
(iv)	शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय से सदस्यों की संख्या				
(v)	किसी महिला समूह से सदस्यों की संख्या				
(vi)	एससी / एसटी समुदाय से सदस्यों की संख्या				
(vii)	जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के नामितियों की संख्या				
(viii)	लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (एएडी) से सदस्यों की संख्या				
(ix)	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की संख्या (विज्ञान, मानविकी एवं कला / शिल्प / संस्कृति प्रत्येक से एक–एक)				
(x)	स्कूल के अध्यापकों की संख्या (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित प्रत्येक से एक–एक)				
(xi)	सदस्य के रूप में उप–प्रधानाचार्य / सहायक प्रधानाध्यापक				
(xii)	अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य / प्रधान अध्यापक				
(xiii)	अध्यक्ष (यदि प्रधानाचार्य / प्रधान अध्यापक अध्यक्ष न हो)				
(xiv)	प्रशिक्षणप्राप्त सदस्यों की संख्या				

(ख) पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित एनएमडीसी बैठकों की संख्या : [|]

(ग) क्या एसएमडीसी ने स्कूल सुधार योजना तैयार की है? [ ] (हां=1, नहीं=2)

(घ) क्या एसएमडीसी के संबंध में पृथक बैंक खाता रखा जा रहा है ? [ ] (हां=1, नहीं=2)

यदि हां, एसएमडीसी के बैंक ब्यौरे दें :

बैंक का नाम : [ ]

शाखा का नाम : [ ]

खाता संख्या : [ ]

खाताधारक का नाम : [ ]

आईएफएससी कोड : [ ]

(ङ) क्या स्कूल भवन समिति (एसबीसी) का गठन किया गया है? (हां=1, नहीं = 2)

(च) क्या स्कूल ने अपनी शैक्षणिक समिति (एसी) का गठन किया है? (हां=1, नहीं=2)

(छ) क्या स्कूल ने अपनी अविभावक अध्यापक संस्था (पीटीए) का गठन किया है? (हां=1, नहीं=2)

यदि, हां तो

1. पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित पीटीए बैठकों की संख्या :

भाग 2 – भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण

भाग–2.1 स्कूलों में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण

2.1 स्कूल भवन की स्थिति ?

(निजी=1, किराए पर=2, सरकारी=3, किराया मुक्त भवन में सरकारी स्कूल=4, बिना भवन के=5, निर्माणाधीन भवन=7, दूसरे विभाग के भवन में संचालित स्कूल=10)

2.2 स्कूल भवन का प्रकार :

स्कूल के भवन ब्लॉक की कुल संख्या	कुल भवन ब्लॉक संख्या में से, निम्न की संख्या					
	पक्का भवन	आंशिक रूप से पक्का (कंकरीट छत के बगैर पक्का दीवार एवं फर्श वाला भवन)	कच्चा भवन	टेंट	टूटा–फूटा भवन	निर्माणाधीन भवन

2.3 चाहरदीवारी का प्रकार :

(पक्का – 1, पक्का, पक्का परन्तु टूटा हुआ=2, कटीले तारों की दीवार=3, बाड़ा वाला=4, बिना चाहरदीवारी के=5, अन्य=6, आंशिक=7, निर्माणाधीन=8)

2.4 स्कूल में (पूर्व प्राथमिक से XII तक की कक्षाओं के लिए) उपलब्ध पठनकक्षों के ब्यौरे –

(क)

अनुदेशात्मक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त पठनकक्षों की सं.	निर्माणाधीन पाठनकक्षों की सं.	टूट–फूट अवस्था में कुल पठनकक्ष

(i) अनुदेशात्मक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कुल पठनकक्षों में से निम्न स्तर / श्रेणी के ब्यौरे :

पूर्व प्राथमिक		माध्यमिक	
प्राथमिक		उच्चतर माध्यमिक	
उच्च माध्यमिक			

(ख) स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों से भिन्न कक्षों की कुल संख्या :

(ग) स्थिति अनुसार पठन कक्ष :

भवन ब्लॉक का प्रकार	स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या		
	अच्छी स्थिति	मामूली मरम्मत की जरूरत	बड़े मरम्मत की जरूरत
पक्का			
आंशिक रूप से पक्का			
कच्चा			
टेंट			

2.5 क्या भूमि, स्कूल की सुविधा विस्तारण के लिए उपलब्ध है? (हां=1, नहीं=2)

2.6 क्या प्रधान अध्यापक / प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष उपलब्ध है? (हां=1, नहीं=2)

2.7 क्या स्कूल में शौचालय है? (हां=1, नहीं=2)

यदि हां, तो

(क) शौचालयों के ब्यौरे

क्र.सं.	विवरण	बालक जोड़ (1)	बालक कार्यात्मक* (2)	बालिकाएं जोड़ (3)	बालिकाएं कार्यात्मक* (4)	जोड़ जोड़ (5)	जोड़ कार्यात्मक* (6)
(i)	सीडब्ल्यूएसएन अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की सं.						
(ii)	सीडब्ल्यूएसएन अनुकूल शौचालय शीटों की सं.						
(iii)	सीडब्ल्यूएसएन अनुकूल शौचालयों सहित शौचालय सीटों की कुल संख्या						
(iv)	उपलब्ध पेशाबघरों की कुल संख्या						

(ख) सारणी 2.7 (क) में दिए गए कार्यात्मक शौचालयसों एवं पेशाबघरों की कुल संख्या में से प्रक्षालन एवं सफाई हेतु कितने शौचालय / पेशाब घर में प्रवाहित जल व्यवस्था है?

बालक		बालिकाएं	

टिप्पणी : 'कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा : शौचालय में उपलब्ध पानी, कम से कम बदबू (गंध महसूस न हो), सीट टूटी नहीं हो, नियमित रूप से साफ की गई हो, शुष्क, प्रवाहित जल निकासी प्रणाली के साथ हो, प्रयोगकर्त्ताओं के लिए सुलभ हो, दरवाजा बंद करने वाला हो।

(ग) क्या शौचालयों / पेशाब घर ब्लॉक के पास साबुन के साथ उपलब्ध प्रक्षालय व्यवस्था है? (हां=1, नहीं=2)

(घ) क्या भस्मक बालिका शौचालयों में उपलब्ध है / संबद्ध है? (हां, परन्तु कार्यात्मक नहीं=3)

2.8 क्या स्कूल परिसर में पेय जल उपलब्ध है? : (हां=1, नहीं=2)

यदि हां, (क) पेय जल का मुख्य स्रोत :

स्रोत	यूनिट संख्या	कार्यात्मक यूनिटों की सं.हैण्ड पम्प
हैण्ड पम्प		
संरक्षित कुआं		
असंरक्षित कुआं		
टैप वाटर		
पैक बन्द / बोतलयुक्त पानी		
अन्य		

(ख) क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण / आरओ उपलब्ध है? (हां=1, नहीं=2) हां, परन्तु कार्यात्मक नहीं=3)

(ग) क्या जल परीक्षण लैब से पानी की गुणवत्ता को जांच की जाती है? (हां=1, नहीं=2)

2.9 क्या स्कूल में वर्षा जल संचय का प्रावधान है?
(हां=1, नहीं=2, परन्तु कार्यात्मक नहीं = 3)

2.10 क्या भोजन करने से पहले और इसके बाद हाथ धोने के लिए साबुन के साथ हस्त प्रक्षालन सुविधा उपलब्ध है? (हां=1, नहीं=2)

(क) यदि हां, धुलाई प्वाइंटों की संख्या :

2.11क. क्या स्कूलों में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है? (हां=1, नहीं=2, हां, परन्तु कार्यात्मक नहीं है=3)

2.11ख. क्या स्कूल में सौर पैनल उपलब्ध है? (हां=1, नहीं=2, हां, परन्तु कार्यात्मक नहीं=3)

2.12 क्या स्कूल में पुस्तकालय सुविधा / बुक बैंक / पठन कक्ष है?

	उपलब्ध (हां=1, नहीं=2)	पुस्तकों की कुल संख्या	एनसीईआरटी, एनबीटी अथवा किसी अन्य सरकारी प्रकाशक से पुस्तकों की कुल संख्या
पुस्तकालय			
बुक बैंक			
पठन कक्ष			

क) क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष है? (हां=1, नहीं=2)

(ख) क्या स्कूल समाचार पत्रों / मैंगजीन की व्यवस्था देता है? (हां = 1, नहीं = 2)

2.13 क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा है? (हां=1, नहीं=2)

(क) यदि नहीं, तो क्या स्कूल ने पास के खेल के मैदान / नगर निगम पार्क आदि में बच्चों के लिए बाहरी गेम खेने और अन्य शारीरिक कार्यकलापों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है? (हां = 1, नहीं = 2)

2.14 क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच की गई थी? (हां = 1, नहीं = 2)

यदि हां, तो

(क) पिछले शैक्षणिक वर्ष में स्कूल में की गई चिकितसा जांचों की कुल संख्या :

(ख) क्या बच्चों को गर्मी–रोधी गोलियां दी गई हैं?
पूर्ण (दो खुराक)=1, आंशिक रूप से (एक खुराक)=2, नहीं दिया गया=3)

(ग) क्या डब्ल्यूसीडी के दिशानिर्देशों के अनुसार बच्चों को ऑयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां दी गई? (हां=1, नहीं=2)

2.15 क्या स्कूल भवन में अशक्त बच्चों की सुविधा के लिए कोई रैम्प मौजूद है? (हां=1, नहीं=2)

(क) यदि हां, रैम्प के लिए हैण्ड–रेल उपलब्ध है? (हां=1, नहीं=2)

2.16 क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है? (समर्पित=1, क्लस्टर स्तर पर=2, नहीं=3)

2.17 क्या स्कूल में अपशिष्ट के संचयन हेतु कूड़ादान है? (हां=1, नहीं=2)

2.18

(क) प्रत्येक पठन कक्ष (हां और सभी=1, नहीं=2, हां, परन्तु कुछ–कुछ=3)

(ख) शौचालय (हां = 1, नहीं = 2)

(ग) रसोई (हां=1, नहीं=2)

2.19 उन विद्यार्थियों की संख्या, जिनके लिए फर्नीचर उपलब्ध है?

भाग 2.2 भौतिक सुविधाएं और उपकरण

2.20 क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं (**मध्यामिक/उच्चतर माध्यमिक अनुभाग**)

	विवरण	**उपलब्धता (हां=1, नहीं=2)**
क.	सहायक प्रधान अध्यापक / उप–प्रधानाचार्य हेतु अलग कक्ष	
ख.	बालिकाओं के लिए अलग सामान्य कक्ष	
ग.	अध्यापकों के लिए स्टाफ रूम	
घ.	पाठ्यचर्या कार्यकलाप कक्ष / कला एवं शिल्प कक्ष	
ड.	स्टाफ क्वार्टर्स (जिसमें प्रधान अध्यापक / प्रधानाचार्य एवं सहायक प्रधान अध्यापक / उप–प्रधानाचार्य हेतु आवासीय क्वार्टर शामिल हैं।)	
च.	केवल माध्यमिक अनुभागों के लिए एकीकृत विज्ञान प्रयोगशालाएं (एकीकृत प्रयोगशाला, ऐसी प्रयोगशाला है, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के प्रैक्टीकल किए जाते हैं)	
छ.	पुस्तकालय कक्ष	
ज.	कम्प्यूटर कक्ष	
झ.	टिंकरिंग प्रयोगशाला	

2.21 क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं? : (केवल उच्चतर माध्यमिक अनुभागों के लिए)

प्रयोगशाला	**उपलब्ध अलग कक्ष (हां=1, नहीं=2)**	**वर्तमान स्थिति (लागू नहीं=0, पूरी तरह से सज्जित=1, आंशिक रूप से सज्जित=2, सज्जित नहीं=3)**
भौतिक विज्ञान		
रासायनिक विज्ञान		
जैव विज्ञान		
गणित		
भाषा		
भूगोल		
गृह विज्ञान		
मनोविज्ञान		

2.22 क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं?

उपकरण/सुविधा	**उपलब्धता (हां=1, नही=2, हां, परन्तु कार्यात्मक नहीं=3)**
ऑडियो / दृश्यिक / जन संबोधन प्रणाली	
विज्ञान किट*	
गणित किट**	
बायोमिट्रिक उपकरण	

* सामान्य मदों, रसायनों, कांच के वर्तन, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, मल्टीमीटर, प्रतिरोधी बॉक्स, किरोसीन बर्नर, इलेक्ट्रीसिटी एवं मैग्नेटिज्म किट, ऑप्टिक्स किट, स्प्रिंग बैलेंस आदि की उपलब्धता।

** क्यूब्स, विभिन्न आकार के कटआउट, नवीनात्मक जियोबोर्ड, अबाक्यूस, ट्रिगोनोमिट्रिक सर्किल बोर्ड, पाइथागोरस, प्रमेय वर्ग, अल्जेब्रिक टाइल्स आदि की उपलब्धता।

भाग 2.3 कम्प्यूटर एवं डिजिटल पहल

2.31 स्कूल में कौन सा कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है? (आईसीटी=1, सीएएल=2, दोनों=3, कोई नहीं=4)

यदि आईसीटी लैब उपलब्ध है, तो

(क) क्रियान्वयन वर्ष

(ख) क्या आईसीटी लैब काम कर रहा है अथवा नहीं? (हां=1, नहीं=2)

(ग) कौन सा मॉडल स्कूल में काम कर रहा है? (बूट मॉडल=1, बू मॉडल=2, अन्य=3)

(घ) स्कूल में आईसीटी अनुदेशक का प्रकार? (पूर्णकालिक=1, अंशकालिक=2, उपलब्ध नहीं=3)

2.32 क्या स्कूल में निम्नलिखित हैं?

मद	उपलब्ध (हां=1, नहीं=2)	कुल यूनिट सं.	कार्यात्मक यूनिटों की सं.
लैपटॉप / नोटबुक			
टैबलेट			
डेस्कटॉप कम्प्यूटर			
एकीकृत पठन–पाठन यंत्रों के साथ पीसी			
अन्तर्वस्तु प्रबंधन प्रणाली एवं समाधान (सीएमएस) / शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के साथ डिजिटल बोर्ड			
सर्वर			
प्रोजेक्टर			
एलसीडी / एलईडी / प्लाज्मा स्क्रीन			
प्रिंटर			
स्कैनर			
वेब कैमरा			
जनरेटर / इंवर्टर / यूपीएस			
इंटरनेट सुविधा			
डीटीएच–टीवी एंटिना			
I-XII के लिए ई–कंटेंट एवं डिजिटल संसाधन			
सीडब्ल्यूएसएन के लिए सहायकात्मक टेक–आधारित समाधान			

2.33 क्या पठन हेतु आईसीटी आधारित औजारों का प्रयोग किया जाता है?

(क) यदि हां, प्रति सप्ताह बिताए गए घंटों की संख्या

भाग 3 : अध्यापन एवं गैर–अध्यापन स्टाफ

3.1 अवस्थागत गैर–तकनीकी / प्रशासनिक एवं सहायक स्टाफ संख्या

कर्मचारी पदनाम	कर्मचारियों की संख्या
लेखाकार	
पुस्तकालय सहायक	
प्रयोगशाला सहायक	
यूडीसी / हैड क्लर्क	
एलडीसी	
चपरासी / एमटीएस	
रात्रि चौकीदार	

3.2 कार्यरत अध्यापन कर्मचारियों की संख्या

कार्यरत अध्यापन कर्मचारी	अध्यापन कर्मचारियों की कुल सं.
अध्यापन कर्मचारी (नियमित अध्यापक)	
अध्यापन (संविदा अध्यापक)	
उच्च प्राथमिक अनुभाग हेतु आरटीई मानकों के अनुसार पद स्थापित कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु अंशकालिक अनुदेशक	
कुल अध्यापकों में से कितने अध्यापकों के पास आधार नम्बर है?	

3.3 अध्यापक एवं अनुदेशक (प्रधान अध्यापक सहित) (अगले पृष्ठ में दिए गए उपयुक्त कोड को लिखें)

	अध्यापक 1	अध्यापक 2	अध्यापक 3	अध्यापक 4	अध्यापक 5
1. अध्यापक कोड (यदि उपलब्ध हो)					
2. नाम					
3. लिंग					
4. जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष)					
5. सामाजिक श्रेणी					
6. अध्यापक का प्रकार					
7. नियुक्ति का स्वरूप					
8. सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख					
9. उच्चतम शैक्षणिक योग्यता					
10. उच्चतम व्यवसायिक शिक्षा					
11. पढ़ाई गई कक्षाएं					
12. विषय हेतु नियुक्त					
13. पढ़ाया गया मुख्य विषय 1					
14. पढ़ाया गया मुख्य विषय 2					

15–18 पिछले शैक्षिक वर्ष में प्राप्त सेवारत प्रशिक्षण के कुल दिन (क्रम सं. 15 से 17 केवल प्रारंभिक स्तर पर पढ़ा रहे अध्यापकों के लिए है)					
15. बीआरसी					
16. सीआरसी					
17. डाईट					
18. अन्य					
19क. प्राप्त प्रशिक्षण					
19ख. प्रशिक्षण की जरूरत					
20. गैर शिक्षण कार्यों पर खर्च किए गए कार्य दिवसों की सं.					
21. विवेचित गणित					
22. विवेचित विज्ञान					
23. विवेचित अंग्रेजी					
24. भाषा (अनुसूची VIII के अनुसार) विवेचित					
25. विवेचित सामाजिक अध्ययन					
26. वर्तमान स्कूल में कार्यरत से (वर्ष)					
27. अशक्तता, यदि कोई हो, का प्रकार					
28. सीडब्ल्यूएसएन पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित					
29. कम्प्यूटर के प्रयोग में प्रशिक्षित एवं कम्प्यूटर के जरिए पढ़ाई					
30. मोबाइल नम्बर					
31. ई–मेल आईडी					

(3) पुरुष = 1, महिला = 2, ट्रांसजेंडर लिंगी = 3

(5) सामाजिक श्रेणी : सामान्य = 1, अनुसूचित जाति = 2, अनुसूचित जन जाति = 3, अन्य पिछड़ी जाति = 4, अन्य आरक्षित जाति = 5, अन्य = 6

(6) अध्यापन के प्रकार : प्रधान अध्यापक = 1, कार्यकारी प्रधान अध्यापक = 2, अध्यापक = 3, आरटीई के अनुसार पदस्थापित अनुदेशक = 5, प्रधानाचार्य = 6, उप–प्रधानाचार्य = 7, प्राध्यापक = 8

(7) नियुक्ति का स्वरूप : नियमित = 1, संविदा = 2, अंशकालिक = 3

(9, 21 से 25)

माध्यमिक से नीचे = 1, माध्यमिक = 2, उच्चतर माध्यमिक = 3, स्नातक = 4, स्नातकोत्तर = 5, एम. फिल = 6, पीएचडी = 7, डॉक्टोरल = 8

(10) व्यावसायिक शिक्षा : बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र जो दो वर्ष से कम अवधि का न हो=1, स्नात्तकोत्तर प्रारंभिक शिक्षा (बीईआईईडी)=2, बी एड अथवा सदृश=3, एमएड अथवा सदृश=4, अन्य=5, इनमसें से कोई नहीं=6, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा / डिग्री=7, आगामी कोई संगत व्यावसायिक पाठ्यक्रम=8

(11) पढ़ाई गई कक्षाएं : केवल प्राथमिक=1, केवल उच्च प्राथमिक=2, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक=3, केवल माध्यमिक=5, केवल उच्चतर माध्यमिक=6, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक=7, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक=8, केवल पूर्व प्राथमिक=10, पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक=11

(12, 13 एवं 14)

सभी विषय=1, भाषा (यदि एक से अधिक भाषा पढ़ रहे हों)=2, गणित=3, पर्यावरण अध्ययन=4, खेल=5, संगीत=6, विज्ञान=7, सामाजिक अध्ययन=8, लेखाकंन=10, जैव विज्ञान=11, व्यवसायिक अध्ययन=12, रसायन शास्त्र=13, कम्प्यूटर विज्ञान=14, अर्थशास्त्र=15, इंजीनियरिंग ड्राइंग=16, ललित कला=17, भूगोल=18, इतिहास=19, गृह विज्ञान=20, दर्शनशास्त्र=21, भौतिक शास्त्र=22, राजनैतिक विज्ञान=23, मनोविज्ञान = 24, विदेशी भाषा=25, वनस्पति विज्ञान=26, प्राणी विज्ञान=27, हिन्दी=41, संस्कृत=43, उर्दू=45, अंग्रेजी=46, क्षेत्रीय भाषा=47, कला शिक्षा=91, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा=92, कार्य शिक्षा=93, अन्य विषय=0

(19क एवं ख)

प्रशिक्षण जरूरत / प्राप्त : अपेक्षित नहीं=0, विषयगत जानकारी=1, शिक्षाशास्त्री मामले=2, आईसीटी कौशल=3, सीडब्ल्यूएसएन में कार्य करने के लिए जानकारी एवं कौशल=4, नेतृत्व एवं प्रबंधन कौशल=5, सफाई एवं स्वास्थ्य=6, अन्य=7

(27) अशक्तता : लागू नहीं=1, लोाके मोटर=2, दृश्यिक=3 अन्य=4, श्रवण बाधित= 5

(28, 29) हां=1, नहीं=2

यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | |

भाग 4 : नये दाखिले, नामांकन एवं आवर्त्तक

4.1 ग्रेड I में नये दाखिले

	आयु (पूरे किए गए वर्षों में)					ग्रेड I में दाखिल कुल बच्चे	ग्रेड I में कुल बच्चों में से निम्न में प्री–स्कूल अनुभव वाले बच्चों की संख्या		
	5 से कम	5	6	7	7 से कम		एक ही स्कूल में	दूसरे स्कूल में	आंगनबाड़ी/ ईसीसीई केन्द्र
बालक									
बालिकाएं									

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड

4.2 चालू शैक्षणिक सत्र में नामांकन (सामाजिक श्रेणी के तहत)

(क)

श्रेणियां	प्री प्राईमरी		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
सामान्य																										
अनु.जा.																										
अ.ज.जा.																										
अन्य पिछड़ा वर्ग																										
जोड़																										

(ख) कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक ग्रुपों से संबंधित नामांकन के ब्यौरे उपलब्ध कराएं*

मुस्लिम																										
ईसाई																										
सिक्ख																										
बौद्ध																										
पारसी																										
जैन																										
अन्य																										

(ग) कुल नामांकन में से विद्यार्थियों की संख्या उपलब्ध कराएं

जिनके पास आधार है																										
गरीबी रेखा से नीचे																										

(घ) कुल नामांकन में से ट्रांसजैंड विद्यार्थियों की संख्या बताएं

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ट्रांसजेंडर												

*अल्पसंख्यक, जैसा कि संविधान में निर्धारित है।

यूडीआईएसई कोड

4.3 चालू शैक्षणिक सत्र में ग्रेड के तहत आवर्त्तक (सामाजिक श्रेणी के तहत)

(क)

श्रेणियां	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
सामान्य																								
अनु.जा.																								
अ.ज.जा.																								
अन्य पिछड़ा वर्ग																								
जोड़																								
द्वखत्रः कुल आवर्त्तकों में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित आवर्त्तकों के ब्यौरे उपलब्ध कराएं*																								
मुस्लिम																								
ईसाई																								
सिक्ख																								
बौद्ध																								
पारसी																								
जैन																								
अन्य																								

*अल्पसंख्यक, जैसा कि संविधान में निर्धारित है।

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड

4.4 चालू शैक्षणिक सत्र में ग्रेड के तहत नामांकन (पूरे किए गए वर्ष में आयु)

टिप्पणी : कुल विद्यार्थियों को (श्रेणी–वार) श्रेणीवार कुल विद्यार्थियों से मेल खाना चाहिए (4.2 डीसीएफ की पंक्ति ङ)

श्रेणियां	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
आयु	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
<5																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
>22																								
जोड़																								

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | |

4.5 चालू शैक्षणिक सत्र में ग्रेड के तहत नामांकन (अनुदेश माध्यम के द्वारा)

श्रेणियां	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
अनुदेशक का माध्यम	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
I																								
II																								
III																								
IV																								
जोड़																								

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड

4.6 विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए ग्रेड के तहत नामांकन

श्रणियां	प्री प्राईमरी		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
अंधापन																										
कम दिखाई देना																										
श्रवण बाधित																										
बोली एवं भाषा																										
लोकोमोटर अशक्तत																										
मानसिक बीमारी																										
विशिष्ट शिक्षण अशक्तता																										
सेराब्रल अंगघात																										
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम व्यतिक्रम																										
बहरापन, अंधापन सहित कई तरह की अशक्तता																										
कुष्ठ उपचारित विद्यार्थी																										
बौनापन																										
बौद्धिक अशक्तता																										
मांसपेशी डिस्ट्रॉफी																										
पुराना तंत्र विज्ञानी कोण्ड																										
बहुविध सलरोसिस																										
थैलेसेमिया																										
हेमोफिलिया																										
सिक्कल सेल रोग																										
एसिड हमला पीड़ित																										
पार्किनसन्स रोग																										

4.7 स्कूल में शैक्षणिक विषय की उपलब्धता (केवल उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/जूनियर कालेजों के लिए)

विषय	उपलब्धता (लागू नहीं=0, हां=1, नहीं = 2)
कला	
विज्ञान	
वाणिज्य	
व्यावसायिक	
अन्य विषय	

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड

4.8शैक्षणिक विषय के तहत नामांकन एवं आवर्त्तक

		नामांकन				आवर्त्तक			
		कक्षा–XI		कक्षा–XII		कक्षा–XI		कक्षा–XII	
विषय	सामाजिक वर्ग	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
कला	सामान्य								
कला	अनु. जा.								
कला	अनु.ज.जा.								
कला	अ.पि. वर्ग								
कला	जोड़								
विज्ञान	सामान्य								
विज्ञान	अनु. जा.								
विज्ञान	अनु.ज.जा.								
विज्ञान	अ.पि. वर्ग								
विज्ञान	जोड़								
वाणिज्य	सामान्य								
वाणिज्य	अनु. जा.								
वाणिज्य	अनु.ज.जा.								
वाणिज्य	अ.पि. वर्ग								
वाणिज्य	जोड़								
व्यावसायिक	सामान्य								
व्यावसायिक	अनु. जा.								
व्यावसायिक	अनु.ज.जा.								
व्यावसायिक	अ.पि. वर्ग								
व्यावसायिक	जोड़								
अन्य विषय	सामान्य								
अन्य विषय	अनु. जा.								
अन्य विषय	अनु.ज.जा.								
अन्य विषय	अ.पि. वर्ग								
अन्य विषय	जोड़								

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | | |

4.9 शैक्षणिक विषय के तहत नामांकन एवं आवर्त्तक (अल्प संख्यक समूह के तहत)

विषय	सामाजिक वर्ग	नामांकन				आवर्त्तक			
		कक्षा–XI		कक्षा–XII		कक्षा–XI		कक्षा–XII	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
कला	मुस्लिम								
कला	ईसाई								
कला	सिक्ख								
कला	बौद्ध								
कला	पारसी								
कला	जैन								
कला	अन्य								
विज्ञान	मुस्लिम								
विज्ञान	ईसाई								
विज्ञान	सिक्ख								
विज्ञान	बौद्ध								
विज्ञान	पारसी								
विज्ञान	जैन								
विज्ञान	अन्य								
वाणिज्य	मुस्लिम								
वाणिज्य	ईसाई								
वाणिज्य	सिक्ख								
वाणिज्य	बौद्ध								
वाणिज्य	पारसी								
वाणिज्य	जैन								
वाणिज्य	अन्य								
व्यावसायिक	मुस्लिम								
व्यावसायिक	ईसाई								
व्यावसायिक	सिक्ख								
व्यावसायिक	बौद्ध								

कक्षा–ग

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड

4.9 शैक्षणिक विषय के तहत नामांकन एवं आवर्त्तक (अल्प संख्यक समूह के तहत)

		नामांकन				आवर्त्तक			
		कक्षा–XI		कक्षा–XII		कक्षा–XI		कक्षा–XII	
विषय	सामाजिक वर्ग	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
व्यावसायिक	पारसी								
व्यावसायिक	जैन								
व्यावसायिक	अन्य								
अन्य विषय	मुस्लिम								
अन्य विषय	ईसाई								
अन्य विषय	सिक्ख								
अन्य विषय	बौद्ध								
अन्य विषय	पारसी								
अन्य विषय	जैन								
अन्य विषय	अन्य								

यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | | |

भाग 5 : बच्चों को उपलब्ध प्रोत्साहन एवं सुविधाएं (केवल सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए)

5.1 बच्चों को उपलब्ध सुविधाएं (पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष, प्राइमरी ग्रेड I-V)

	सामान्य विद्यार्थी		अनु.ज. विद्यार्थी		अ.ज.जा. विद्यार्थी		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल विद्यार्थी		मुस्लिम अल्पसंख्यक		अन्य अल्पसंख्यक समूह	
सुविधा का प्रकार	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक														
वर्दी														
परिवहन सुविधा														
स्कॉर्ट														
साइकिल														
(निर्धारित का उल्लेख करें)														

5.2 बच्चों को उपलब्ध सुविधाएं (पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष, उच्च प्राथमिक ग्रेड VI-VIII के लिए)

	सामान्य विद्यार्थी		अनु.ज. विद्यार्थी		अ.ज.जा. विद्यार्थी		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल विद्यार्थी		मुस्लिम अल्पसंख्यक		अन्य अल्पसंख्यक समूह	
सुविधा का प्रकार	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक														
वर्दी														
परिवहन सुविधा														
स्कॉर्ट														
साइकिल														
(निर्धारित का उल्लेख करें)														

5.3 सीडब्ल्यूएसएन को उपलब्ध सुविधाएं (पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष)

	प्री पाइमरी		पाइमरी		उच्च प्राथमिक		माध्यमिक		उच्चतर माध्यमिक	
सुविधा का प्रकार	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
ब्रेली पुस्तिका										
ब्रेली किट										
न्यून दृश्यिक किट										
श्रवण सहायता										
ब्रेस										
क्रेचेज										
व्हील चेयर										
त्रि–साईकिल										
कैलीपर										
स्कॉर्ट										
स्टाइपेंड										

भाग 6 : प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा परिणाम

6.1 ग्रेड V के संबंध में पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक परिणाम

	सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
परिक्षा परिणाम	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
शामिल विद्यार्थियों की सं.										
उत्तीर्ण/सफल विद्यार्थियों की संख्या										
अंक >= 60% से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या										

6.2 ग्रेड VIII हेतु पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक परीक्षा परिणाम

	सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
परीक्षा परिणाम	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
शामिल हुए विद्यार्थियों की सं.										
उत्तीर्ण/सफल विद्यार्थियों की संख्या										
अंक >=60% से उत्तीर्ण विद्यार्थीयों की संख्या										

भाग 7 : बोर्ड परीक्षा परिणाम

7.1 पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में ग्रेड X बोर्ड परीक्षा का परिणाम

(क) नियमित विद्यार्थी																			
शामिल विद्यार्थियों की संख्या										उत्तीण/सफल विद्यार्थियों की संख्या									
सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़		सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
(ख) नियमित विद्यार्थियों से भिन्न																			

7.2 अंक सीमा में माध्यमिक स्कूल बोर्ड (ग्रेड X) परीक्षा उत्तीर्ण /सम्मान **नियमित विद्यार्थियों** की संख्या (पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में)

	सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
अंक सीमा	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
<40%										
40-<60%										
60-<80%										
>=80%										
जोड़										

7.3 अंक सीमा में माध्यमिक स्कूल बोर्ड (ग्रेड X) परीक्षा उत्तीर्ण **नियमित विद्यार्थियों से भिन्न** विद्यार्थियों की संख्या (पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में)

	सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
अंक सीमा	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
<40%										
40-<60%										
60-<80%										
>=80%										
जोड़										

7.4 पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में ग्रेड XII बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा के परिणाम (नियमित विद्यार्थियों के लिए)

	नियमित विद्यार्थी																			
	शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या										सफल/उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या									
	सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़		सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
विषय	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
कला																				
विज्ञान																				
वाणिज्य																				
व्यावसायिक																				
अन्य विषय																				
जोड़																				

7.5 पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में ग्रेड XII बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा के परिणाम (नियमित विद्यार्थियों के अलावा के लिए)

	नियमित विद्यार्थी																			
	शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या										सफल/उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या									
	सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़		सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
विषय	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
कला																				
विज्ञान																				
वाणिज्य																				
व्यावसायिक																				
अन्य विषय																				
जोड़																				

7.6 अंक सीमा में पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में (ग्रेड XII) बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा के परिणाम (नियमत विद्यार्थियों के लिए)

अंक सीमा	सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
<40%										
40-<60%										
60-<80%										
>=80%										
जोड़										

7.7 पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में ग्रेड XII बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा के परिणाम अंक सीमा के साथ (नियमित विद्यालयों से भिन्न विद्यार्थियों के लिए)

अंक सीमा	सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
<40%										
40-<60%										
60-<80%										
>=80%										
जोड़										

भाग 8 : आय एवं व्यय

8.1 प्रारंभिक स्कूलों/अनुभागों हेतु एमडीएम को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त विद्यालयी निधि (सरकारी एवं सहायताप्राप्त स्कूल)

स्कूल अनुदान (एसएसए के तहत)	आय (₹ में)	व्यय (₹ में)
(क) स्कूल विकास अनुदान		
(ख) स्कूल रखरखाव अनुदान		
(ग) टीएलएम/अध्यापक अनुदान		

यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | |

8.2 वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं लिया गया व्यय (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल/अनुभागों के लिए) (सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूल)

स्कूल स्तरीय अनुदान के ब्यौरे (आरएमएसए के तहत)	**आय (₹ में)**	**व्यय (₹ में)**
सिविल निर्माणकार्य		
वार्षिक स्कूल अनुदान (आवर्ती)		
छोटे–मोटे मरम्मत कार्य/रखरखाव कार्य		
प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन कार्य, प्रयोगशाला उपभोज्य वस्तुओं एवं वस्तुओं आदि की खरीद		
पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचारपत्रों आदि की खरीद		
जल, दूरभाष एवं बिजली खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान		
अन्य		
जोड़ (स्कूल स्तर पर अनुदान)		

8.3 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया खर्च (सरकारी स्कूल)

समग्र शिक्षा के तहत अनुदान	**आय (₹ में)**	**व्यय (₹ में)**
संयुक्त स्कूल अनुदान		
पुस्तकालय अनुदान		
खेल एवं शारीरिक शिक्षा हेतु अनुदान		
मीडिया एवं सामुदायिक जुटाव हेतु अनुदान		
एसएमसी/एसएमडीसी प्रशिक्षण हेतु अनुदान		
प्रीस्कूल स्तर पर सहायता हेतु अनुदान (केवल प्राथमिक स्कूलों/अनुभागों हेतु)		

8.4 **स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता**

	हां=1, नहीं=2	**यदि हां**	
		नाम	राशि (₹ में)
गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)			
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)			
समुदाय			
अन्य			

8.5 क्या निम्नलिखित हेतु सम्पत्ति सूची रजिस्टर रखा जा रहा है :

	उपलब्धता (हां=1, नहीं=2)
आईसीटी मदें	
खेल उपकरण	
पुस्तकालय की पुस्तकें	

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड [ ]

भाग 9 : संस्थानिक स्तर पर एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक शिक्षा

9.1 क्या माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना को शामिल किया गया (हां=1, नहीं=2) [ ]

9.2 क्या स्कूल कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है (हां=1, नहीं=2) [ ]

यदि हां, तो स्कूल में उपलब्ध विषय/ट्रेडः सेक्टर 1 [ ] सेक्टर 1 को आरम्भ करने का वर्षः [ ] सेक्टर 2 [ ] सेक्टर 2 को आरम्भ करने का वर्ष [ ]

सेक्टर कोड :

61-कृषि, 62-परिधान, 63-ऑटोमोटिव, 64-ब्यूटी एवं स्वस्थता, 65-बैकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई), 66-निर्माण, 67-इलेक्ट्रॉनिक्स, 68-हैल्थकेयर, 69-आईटी-आईटीईएस, 70-संभारतंत्र, 71-पूंजी माल, 72-मीडिया एवं मनोरंजन, 73-बहु कौशल, 74-खुदरा, 75-सुरक्षा, 76-खेल, 77-दूरसंचार, 78-पर्यटन एवं आतिथ्य, 79-पलम्बिंग, 80-इलेक्ट्रीशियन कौशल

9.3 (क) चालू शैक्षणिक सत्र 2018–19 में नामांकन (व्यापार के तहत एवं सामाजिक श्रेणी में)

		IX		X		XI*		XII*	
एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक क्षेत्र (प्रश्न सं. 9.2 में यथा निर्दिष्ट)	**सामाजिक श्रेणी**	**बालक**	**बालिकाएं**	**बालक**	**बालिकाएं**	**बालक**	**बालिकाएं**	**बालक**	**बालिकाएं**
सेक्टर–1	क–सामान्य								
	ख–अनु.जा.								
	ग–अनु.ज.जा.								
	घ–अ.पि. वर्ग								
	जोड़ (क+ख+ग+घ)								
		कुल नामांकन में से (क+ख+ग+घ)							
	मुस्लिम								
	ईसाई								
	सिक्ख								
	बौद्ध								
	पारसी								
	जैन								
	अन्य								
	सीडब्ल्यूएसएन								

*समर्पित व्यावसायिक विषय का चयन करने वाले विद्यार्थियों को छोड़कर जो एनएसक्यूएस के तहत न हों।

यूडीआईएसई कोड

		IX		X		XI*		XII*	
एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक क्षेत्र (प्रश्न सं. 9.2 में यथा निर्दिष्ट)	सामाजिक श्रेणी	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
सेक्टर–2	क–सामान्य								
	ख–अनु.जा.								
	ग–अनु.ज.जा.								
	घ–अ.पि. वर्ग								
	जोड़ (क+ख+ग+घ)								
		कुल नामांकन में से (क+ख+ग+घ)							
	मुस्लिम								
	ईसाई								
	सिक्ख								
	बौद्ध								
	पारसी								
	जैन								
	अन्य								
	सीडब्ल्यूएसएन								

*समर्पित व्यावसायिक विषय का चयन करने वाले विद्यार्थियों को छोड़कर जो एनएसक्यूएस के तहत न हों।

यूडीआईएसई कोड

9.3(ख) चालू शैक्षणिक सत्र 2018–19 में नामांकन (ट्रेड के तहत एवं जॉब रोल द्वारा)

एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक क्षेत्र	जॉब रोल	IX		X		XI		XII	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
कृषि	पशु स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता								
कृषि	डेरी किसान / उद्यमी								
कृषि	डेरीवर्कर								
कृषि	पुष्प उत्पादन (खुली खेती)								
कृषि	माइक्रो सिंचाई तकनीशियन								
कृषि	धान कृषक								
कृषि	सोनलसीयस क्रॉप कल्टीवेटर								
कृषि	मााली								
परिधान, निर्मित एवं गृह साज सज्जा	सहायक डिजाइनर – गृह साज सज्जा								
परिधान, निर्मित एवं गृहसाज सज्जा	सहायक फैशन डिजाइनर								
परिधान, निर्मित एवं गृह साज सज्जा	हस्त इम्ब्राइडरर								
परिधान, निर्मित एवं गृह साज सज्जा	स्व नियोजित दर्जी								
परिधान, निर्मित एवं गृह साज सज्जा	सिविंग मशीन आपरेटर								
आटोमोटिव	ऑटोमोटिव सर्विस तकनीशियन एल–3								
आटोमोटिव	ऑटोमोटिव सर्विस तकनीशियन एल–4								
बीएफएसआई	व्यावसायिक सह संबंधी								
ब्यूटी एवं स्वस्थता	सहायक ब्यूटी थैरेपिस्ट								
ब्यूटी एवं स्वस्थता	ब्यूटी थैरेपिस्ट								
निर्माण	सहायक मिस्त्री								
निर्माण	मिस्त्री सामान्य								
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर	फील्ड तकनीशियन, अन्य गृह उपकरण								
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर	फील्ड तकनीशियन वायरमैन कंट्रोल पैनल								
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर	फील्ड तकनीशियन कम्प्यूटिंग एवं परिधीय								
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर	टीवी मरम्मत तकनीशियन								
स्वास्थ्य देखभाल	सामान्य ड्यूटी सहायक								
स्वास्थ्य देखभाल	वीजन तकनीशियन								
आईटी / आईटीज	सीआरएम डोमेस्टिक वाइस								
आईटी / आईटीज	डोमेस्टिक बॉयोमिट्रिक डाटा इंट्री ऑपरेटर								
आईटी / आईटीज	डोमेस्टिक डाआ इंट्री आपरेटर								
आईटी / आईटीज	डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क परिचर								

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | | |

एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक क्षेत्र	जॉब रोल	IX		X		XI		XII	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
मीडिया एवं मनोरंजन	रोटो कलाकार								
मीडिया एवं मनोरंजन	टेक्सचर कलाकार								
मीडिया एवं मनोरंजन	स्टोरी बोर्ड कलाकार								
मीडिया एवं मनोरंजन	एनीमेटर								
बहु कौशल	बहु कौशल सहायक तकनीशियन								
बहु कौशल	बहु कौशल आधारभूत पाठ्यक्रम								
शारीरिक शिक्षा एवं खेल	शारीरिक प्रशिक्षक / अध्यापक								
प्लम्बिंग	प्लम्बर (सामान्य)								
प्लम्बिंग	प्लम्बर (सामान्य ।।)								
पावर	उपभोक्ता इनर्जी मीटर तकनीशियन								
रिटेल	खजांची								
रिटेल	स्टोर आपरेशन सहायक								
रिटेल	सेल एसोशिएट								
रिटेल	ट्रेनी एसोशिएट								
सुरक्षा	शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड								
दूरसंचार	ऑटीकल फाइबर स्पलाइसर								
दूरसंचार	ग्राहक देखभाल कार्यपालक (कॉल सेंटर)								
दूरसंचार	इन स्टोर प्रोमोटर								
पर्यटन एवं आतिथ्य	काउण्टर बिक्री कार्यपालक								
पर्यटन एवं आतिथ्य	खाद्य एवं पेय पदार्थ सर्विस प्रशिक्षु								
पर्यटन एवं आतिथ्य	गृह व्यवस्था देखनेवाला मैनुअल सफाई								
पर्यटन एवं आतिथ्य	मीट एवं ग्रीट अधिकारी								
पर्यटन एवं आतिथ्य	ट्रेवल परामर्शदाता								
पर्यटन एवं आतिथ्य	टूर गाइड								
परिवहन, संभार तंत्र एवं भण्डागार	गोदाम पैकर								

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | | |

9.4 संचालित कक्षाओं के ब्यौरे (पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष)

एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक क्षेत्र (प्रश्न सं. 9.2 में यथा–निर्दिष्ट)	संचालित कक्षाओं के प्रकार	कक्षा IX	कक्षा X	कक्षा XI	कक्षा XII
सेक्टर–1	सिद्धान्त (घंटों में)				
	प्रैक्टीकल (घंटों में)				
	क्षेत्र दौरा (संख्या में)				
	उद्योग में प्रशिक्षण* (घंटों में)				
सेक्टर–2	सिद्धान्त (घंटों में)				
	प्रैक्टीकल (घंटों में)				
	क्षेत्र दौरा (संख्या में)				
	उद्योग में प्रशिक्षण* (घंटों में)				

*औद्योगिक / वाणिज्यिक स्थापनाओं में व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण

9.5 उन विद्यार्थियों के परिणाम, जिन्होंने कक्षा X व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण की है (पूर्ववर्ती शैक्षिणक वर्ष)

		सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
	अंक सीमा (सभी विषयों का कुल योग)	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
सेक्टर–1	40% से कम										
	40%, परन्तु 60% से कम										
	60%, परन्तु 80% से कम										
	80% एवं अधिक										
सेक्टर–2	40% से कम										
	40%, परन्तु 60% से कम										
	60%, परन्तु 80% से कम										
	80% एवं अधिक										

9.6 उन विद्यार्थियों के परिणाम जिन्होंने कक्षा XII व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण की है (पूर्ववर्ती शैक्षिणक वर्ष)

		सामान्य		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अ.पि. वर्ग		जोड़	
	अंक सीमा (सभी विषयों का कुल योग)	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
सेक्टर–1	40% से कम										
	40%, परन्तु 60% से कम										
	60%, परन्तु 80% से कम										
	80% एवं अधिक										
सेक्टर–2	40% से कम										
	40%, परन्तु 60% से कम										
	60%, परन्तु 80% से कम										
	80% एवं अधिक										

9.7 स्कूल में कार्यरत व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्रदायकों (वीटीपी) के ब्यौरे

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	ट्रेड जिसके लिए वीटीपी कार्यरत है	प्रमाणीकरण सं.	प्रमाणीकरण/प्रत्यापन एजेंसी का नाम
1				
2				
3				

9.8 संसाधन व्यक्तियों के ब्यौरे, जिसमें एनएसक्यूएफ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अथवा अध्यापक / कौशल ट्रेनर, कौशल प्रशिक्षण प्रदायक अतिथि संकाय शामिल हैं।

						अधिकतम योग्यता								
क्रम सं.	अध्यापक का नाम	लिंग (पुरुष-1, महिला-2, ट्रांसजेंडर-3)	जन्म तिथि (दि/मा/वर्ष)	(1) समाजिक श्रेणी	(2) नियुक्ति का स्वरूप	(3) शैक्षणिक	(4) व्यावसायिक	(5) उद्योग अनुभव	(6) प्रशिक्षण अनुभव	(7) पढ़ाई गई कक्षाएं	क्षेत्र, जिसके लिए नियुक्त किया गया	प्राप्त प्रवेश प्रशिक्षण (हां=1, नहीं=2)	इस शैक्षणिक वर्ष में सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त (हां=1, नहीं=2)	मोबाइल नम्बर
1														
2														
3														
4														

कोड :

1. सामाजिक श्रेणी : सामान्य–1, अनु.जा.–2, अनु.ज.जा. –3, अ.पि. वर्ग = 4
2. नियुक्ति का स्वरूप: नियमित–1, संविदा–2, अतिथि संकाय / अंशकालिक=3, वीटीपी के जरिए=11
3. शैक्षिक योग्यता: माध्यमिक से कम=1, माध्यमिक=2, उच्चतर माध्यमिक=3, स्नातक=4, स्नात्तकोत्तर=5, एम.फिल=6, पीएचडी=7, पोस्ट–डॉक्टरल=8
4. व्यावसायिक शिक्षा : संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम=51, संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र में डिप्लोमा=52, संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र में डिग्री=53, कोई अन्य=5, इनमें से कोई नहीं=6
5. संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र में उद्योग / प्रशिक्षण अनुभव : 1 वर्ष से कम=0, 1 से 2 वर्ष=1, 2 वर्ष से अधिक परन्तु 3 वर्ष से कम=2, 3 अथवा + वर्ष=3,
6. पढ़ाई गई कक्षाएं – (केवल माध्यमिक=5, केवल उच्चतर माध्यमिक=6, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक=8)
7. क्षेत्र / विषय– (जैसा कि प्रश्न नं. 9.2 में विनिर्दिष्ट है), 61–कृषि, 62–परिधान, 63–ऑटोमोटिव, 64–ब्यूटी एवं स्वस्थतता, 65–बैंकिंग वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआई), 66–निर्माण, 67–इलेक्ट्रॉनिक्स, 68–स्वास्थ्य देखभाल, 69–आईटी–आईटीईएस, 70–संभारतंत्र, 71–पूंजी माल, 72–मीडिया एवं मनोरंजन, 73–बहुविध–कौशल, 74–खुदरा, 75–सुरक्षा, 76–खेल, 77–दूरसंचार, 78–पर्यटन एवं अतिथ्य, 79–पलम्बिंग, 80–इलेक्ट्रीशियन कौशल।

9.9 विद्यार्थी व्यवस्थापन विवरण (पूर्ववर्ती वर्ष कक्षा X के बाद)

		यवस्थापन/प्रशिक्षुता हेतु चुने गए विद्यार्थियों की संख्या		व्यवस्थापित/प्रशिक्षुता दी गई विद्यार्थियों की संख्या		व्यावसायिक क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु चुने गए विद्यार्थियों की संख्या (आईटीआई/पॉलीटेकनीक)		व्यावसायिक से भिन्न क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु चुने गए विद्यार्थियों की संख्या		स्वनियोजित विद्यार्थियों की संख्या	
	सामाजिक श्रेणी	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
सेक्टर–1	सामान्य										
	अनु.जा.										
	अनु.ज.जा										
	अ.पि. वर्ग										
	जोड–1										
सेक्टर–2	सामान्य										
	अनु.जा.										
	अनु.ज.जा										
	अ.पि. वर्ग										
जोड–2 जोड़ (1+2)											

यूडीआईएसई कोड | | | | | | | | | | | |

9.10विद्यार्थी व्यवस्थापन विवरण (पूर्ववर्ती वर्ष कक्षा XII के बाद)

		व्यवस्थापन/प्रशिक्षुता हेतु चुने गए विद्यार्थियों की संख्या		व्यवस्थापित/ प्रशिक्षुता दी गई विद्यार्थियों की संख्या		व्यावसायिक क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु चुने गए विद्यार्थियों की संख्या (आईटीआई/ पॉलीटेकनीक/ बी.वोकेशनल)		व्यावसायिक से भिन्न क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु चुने गए विद्यार्थियों की संख्या		स्वनियोजित विद्यार्थियों की संख्या	
	सामाजिक श्रेणी	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
सेक्टर–1	सामान्य										
	अनु.जा.										
	अनु.ज.जा										
	अ.पि. वर्ग										
	जोड–1										
सेक्टर–2	सामान्य										
	अनु.जा.										
	अनु.ज.जा										
	अ.पि. वर्ग										
जोड–2 जोड़ (1+2)											

भाग 10 : पीजीआई संकेतक (केवल सरकारी एवं सहायताप्राप्त स्कूलों के लिए)

क्र. सं.	क्रियान्वयन की स्थिति	उपलब्धता (हां=1, नहीं=2)
10.1	आधार के साथ अध्यापकों की संख्या अथवा जिनका विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस में डाला हुआ है।	
10.2	क्या स्कूल में विद्यार्थी की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने के लिए कोई प्रणाली व्यवस्थित है? (हां=1, नहीं=2)	
10.3	क्या स्कूल में अध्यापक की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेने के लिए कोई प्रणाली व्यवस्थित है? (हां=1, नहीं=2)	
10.4	क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा हो गया है? (हां=1, नहीं=2)	
10.5	क्या स्कूल ने मूल्यांकन के आधार पर सुधार योजनाएं बनाई हैं? (हां=1, नहीं=2)	
10.6	क्या स्कूल पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है? (हां=1, नहीं=2)	

भाग 11 : स्कूल सुरक्षा

क्र. सं.	क्रियान्वयन की स्थिति	उपलब्धता (हां=1, नहीं=2)
11.1	क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) तैयार की गई है?	
11.2	क्या संरचनात्मक सुरक्षा निगरानी कीगई है?	
11.3	क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा जांच की गई है?	
11.4	क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं?	
11.5	क्या स्कूल में अग्निशामक लगे हैं?	
11.6	क्या स्कूल में स्कूल सेफ्टी के लिए कोई नोडल अध्यापक है?	
11.7	क्या स्कूल में सेफ्टी एवं आपदा तैयारी में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है?	
11.8	क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है?	
11.9	क्या स्कूल को बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु अनुदान प्राप्त हुआ है?	
11.9क	यदि हां, तो प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या बताएं (वास्तव में प्रशिक्षित विद्यार्थियों कीसंख्या बताएं)	

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

यूडीआईएसई कोड

स्कूल का नाम :

स्कूल प्रभारी (प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक) द्वारा घोषणा

शैक्षणिक वर्ष : 2018–19

मै, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इस डाटा अभिग्रहण प्रपत्र (डीसीएफ) में दर्ज जानकारी मेरी उत्कृष्ट जानकारी के हिसाब से सही एवं निष्पक्ष है। इसमें किसी तरह का परिवर्तन होने पर में शीघ्र सूचित करूंगा।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

कार्यालय की मोहर

पदनाम

सीआरसी द्वारा सत्यापन

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि प्रस्तुत डाटा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सही है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पदनाम

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग – मा.स.वि.म.
भारत सरकार
वेबसाइट: www.mhrd.gov.in